JCI

भापनि

वार्षिक प्रतिवेदन

ANNUAL REPORT

2023-24

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

THE JUTE CORPORATION OF INDIA LIMITED

Hindi Diwas being observed at the Head Office
of the Corporation at Patsan Bhawan.

MD, JCI, Jute Commissioner and senior officials of JCI addressing the members of the press at
Press club, Kolkata on the occasion of the commencement of Jute Crop Year 2024-25.

Convocation of the First Batch of Apprentices
of the Corporation at Patsan Bhawan.

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)

पटसन भवन, 3रा एवं 4था तल, सीएफ ब्लॉक,
एक्शन एरिया-1, न्यू टाउन, कोलकाता-700 156

53वीं वार्षिक रिपोर्ट

विषय-सूची

1.	विजन मिशन	2
2.	बोर्ड के निदेशकगण एवं लेखापरीक्षा समिति	3
3.	सूचना	5
4.	प्रबंध निदेशक की कलम से	6
5.	निदेशकों का रिपोर्ट	10
6.	पांच वर्षों की रूपरेखा	36
7.	क्षेत्रीय कार्यालय	39
8.	लेखापरीक्षक का रिपोर्ट	40
9.	लेखा पर सीएजी की टिप्पणियां	57
10.	तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण और तुलन-पत्र व लाभ-हानि विवरण के अभिन्न अंग की लेखा टिप्पणियां	58
11.	व्यापार का लेखा :	
	i अन्तर्देशीय कच्चा जूट-मूल्य समर्थन	86
	ii अन्तर्देशीय कच्चा जूट-वाणिज्यिक	87
	iii जूट बीज	88
	iv विविध जूट उत्पाद	88

विजन और मिशन

विजन

कच्चे जूट सेक्टर में पहल करने वाला होना, विशेष रूप से कृषकों के हितों और वृहत में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना एवं विविध जूट व्यपार के क्रिया-कलाप जो दोहरे उद्देश्य आत्मनिर्भरता व धारणीय लाभप्रदत्ता के साथ पर्यावरण हितैषी है, के विकास पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की आवश्यकताएं पूरी करना।

मिशन

- इस देश के जूट/मेस्ता कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करने के लिए भारत सरकार की नीति का कार्यान्वयन करना।
- कच्चे जूट सेक्टर में मूल्य स्थिरीकरण एजेंसी के रूप में कार्य करना और इस संबंध में आवश्यक उपाय करना।
- विभिन्न जूट संबंधी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाना।

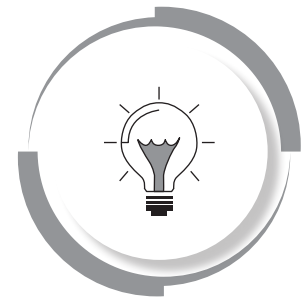

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)

पटसन भवन, 3रा एवं 4था तल, सीएफ ब्लॉक, एक्शन एरिया-1,

न्यू टाउन, कोलकाता-700 156

बोर्ड के निदेशकगण

1.	श्री ए. के. जॉली (डीआईएन:08427305)	:	प्रबंध निदेशक (01.02.2019 से)
2.	सुश्री प्राजक्ता एल वर्मा (डीआईएन:05117895)	:	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकार द्वारा नामित निदेशक (16.07.2024 से)
3.	श्री पूर्णेश गुरुरानी (डीआईएन:10277956)	:	निदेशक (फाइबर), वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकार द्वारा नामित निदेशक (22.06.2023 से)
4.	श्री गौरव कुमार (डीआईएन:02819625)	:	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकार द्वारा नामित निदेशक (08.12.2020 से 16.07.2024 तक)
5.	स्व· अमिताभ सिन्हा (डीआईएन:09022866)		निदेशक (वित्त) (10.12.2020 से 27.02.2024 तक)

लेखापरीक्षा समिति

1.	श्री पूर्णेश गुरुरानी (डीआईएन:10277956)	:	निदेशक (फाइबर), वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकार द्वारा नामित निदेशक (22.06.2023 से) - अध्यक्ष
2.	सुश्री प्राजक्ता एल वर्मा (डीआईएन:05117895)	:	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकार द्वारा नामित निदेशक (16.07.2024 से) - सदस्य
3.	श्री ए. के. जॉली (डीआईएन:08427305)	:	प्रबंध निदेशक (01.02.2019 से) - सदस्य
4.	श्री गौरव कुमार (डीआईएन:02819625)	:	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकार द्वारा नामित निदेशक (08.12.2020 से 16.07.2024 तक)

सीएसआर समिति

1.	श्री ए. के. जॉली (डीआईएन:08427305)	:	प्रबंध निदेशक (01.02.2019 से) - अध्यक्ष
2.	सुश्री प्राजक्ता एल वर्मा (डीआईएन:05117895)		संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकार द्वारा नामित निदेशक (16.07.2024 से) - सदस्य
3.	श्री पूर्णेश गुरुरानी (डीआईएन:10277956)		निदेशक (फाइबर), वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकार द्वारा नामित निदेशक (22.06.2023 से) – सदस्य
4.	श्री गौरव कुमार (डीआईएन:02819625)	:	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकार द्वारा नामित निदेशक (08.12.2020 से 16.07.2024 तक)
5.	स्व· अमिताभ सिन्हा (डीआईएन:09022866)	:	निदेशक (वित्त) (10.12.2020 से 27.02.2024 तक)

श्री ए. साहा	:	कंपनी सचिव (03.08.2016 से)

लेखापरीक्षक	:	मेसर्स जे.के.वी.एस. एंड कं., 5, नंदलाल ज्यू रोड, कोलकाता-700 026, पश्चिम बंगाल

पंजीकृत कार्यालय	:	पटसन भवन, 3रा एवं 4था तल, सीएफ ब्लॉक, न्यू टाउन, कोलकाता-700 156 वेबसाइट : www.jutecorp.in, ई-मेल : jci@jcimail.in

श्री ए. के. जॉली
प्रबंध निदेशक

सुश्री प्राजक्ता एल वर्मा
संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री पूर्णेश गुरुरानी
निदेशक (फाइबर), वस्त्र मंत्रालय
सरकार द्वारा नामित निदेशक

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)
पटसन भवन, 3रा एवं 4था तल, सीएफ ब्लॉक,
एक्शन एरिया-1, न्यू टाउन, कोलकाता-700 156

सं.भापनि/53वीं एजीएम/सचिवालय/2024-25 दिनांक : 06.12.2024

53वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय पटसन निगम लिमिटेड की तिरपनवीं वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित कार्य संपादित करने के लिए इस निगम के पंजीकृत कार्यालय, पटसन भवन, 3रा एवं 4था तल, सीएफ ब्लॉक, एक्शन एरिया-1, न्यू टाउन, कोलकाता-700 156 में शुक्रवार, 13 दिसंबर, 2024 को अपराह्न 1.00 बजे से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से होगी:

सामान्य कारोबार:

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणियों के साथ-साथ लेखापरीक्षकों एवं निदेशकों के रिपोर्ट पर विचार करना एवं उसे पारित करना।
2. सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति को नोट करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना।

निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा गया तो बिना किसी संशोधन के उसे पारित करना:

"प्रस्तावित

कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 139 के अनुसार मेसर्स जे.के.वी.एस एण्ड कं., सनदी लेखाकार को वर्ष 2024-25 के लिए निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया है। इस अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत इस निगम के बोर्ड के निदेशकगण को वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक, आनुषंगिक खर्च, सांविधिक कर एवं अन्य संबंधित खर्च तय करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है एवं एतद्वारा किया जाता है"।

3. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रति शेयर 276.70 रुपये का लाभांश घोषित करना।

बोर्ड के निदेशकगण के आदेशानुसार

(अभिक साहा)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
पटसन भवन, न्यू टाउन,
कोलकाता-700 156

टिप्पणी:

1. सदस्य जो तिरपनवीं वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित एवं वोट देने के हकदार हैं, वे अपने तरफ से परोक्षी को उपस्थित एवं वोट देने के लिए नियुक्त कर सकते हैं (धारा 105)। परोक्षी को निगम का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी का एक रिक्त फार्म संलग्न है, यदि इसका उपयोग होता है तो निगम को वार्षिक साधारण सभा प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले इसे विधिवत् भरकर वापस किया जाना चाहिए।

प्रबंध निदेशक की कलम से

प्रिय सदस्यगण,

मुझे निगम की 53वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए बेहद खुशी हो रही है। आप अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

मैं इस सुअवसर पर आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निगम के कार्य-निष्पादन के मुख्य विशेषताओं के साथ-साथ 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षित लेखों और उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं:

वित्तीय परिणाम

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निगम को 4611.68 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। इसका मुख्य कारण एमएसपी का होना है जिससे विगत वर्ष की तुलना में अधिक बिक्री हुई।

बाजार का परिदृष्य

कच्चे जूट की आपूर्ति श्रृंखला में 2022-23 से लाये गये 23.00 लाख गांठ जूट से फसल वर्ष 2023-24 का प्रारंभ हुआ। जूट विशेषज्ञ समिति (ईसीजे) द्वारा किये गये जूट फसल के आकलन के आधार पर देश में कच्चे जूट का कुल उत्पादन 91 लाख गांठ (180 कि.ग्रा. प्रति गांठ) होने का पूर्वानुमान था। भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 300/- रुपये (रु.4750/- - रु.5050/-) की बढ़ोत्तरी की गई। वर्ष 2022-23 के उत्पादन का अंतिम अनुमान 91 लाख गांठ की तुलना में इस वर्ष उत्पादन का अंतिम अनुमान 90 लाख गांठ रहा। बांग्लादेश से आयात लगभग 6.00 लाख गांठ होने का अनुमान था। इसमें से प्रारंभिक अनुमानित मिल खपत 78 लाख गांठ की जगह वास्तविक मिल खपत 72 लाख गांठ था। प्रारंभिक अनुमानित खपत 15 लाख गांठ की जगह घरेलू खपत का अंतिम अनुमान 15 लाख गांठ रहा। इसके अलावा 2.00 लाख गांठों का निर्यात भी होने का अनुमान था। फसल वर्ष 2024-25 के लिए 30.00 लाख गांठ लाया गया। फसल वर्ष के दौरान फसल का कीमत एमएसपी से कम रहा। फलस्वरूप, संबंधित फसल वर्ष के दौरान एमएसपी के अंतर्गत लगभग 13.17 लाख क्विंटल जूट की खरीद हुई, जो विगत 15 वर्षों में निगम द्वारा की गई सबसे अधिक खरीद है।

फसल वर्ष 2024-25 के दौरान विगत वर्ष के अधिक लाए गए जूट तथा तैयार सामानों की कम मांग के कारण एक और बड़ी एमएसपी की परिस्थिति की आशंका है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रिया-कलाप

भारत सरकार ने फसल वर्ष 2023-24 के लिए अखिल भारतीय स्तर पर टीडी-3 (टीडी5 के स्थान पर) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 5050/- रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया था। यह एमएसपी स्तर फसल वर्ष 2022-23 के एमएसपी से 300/- रुपये प्रति क्विंटल अधिक था। इस क्रम में पटसन आयुक्त के कार्यालय ने घोषित एमएसपी के आधार पर कच्चे जूट के विभिन्न किस्मों एवं श्रेणियों का नयूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया।

31 मार्च, 2024 तक के वार्षिक लेखों के अनुसार वर्ष 2023-24 के एमएसपी क्रिया-कलाप की वित्तीय स्थिति का सारांश निम्नानुसार है:-

क्रय की मात्रा (क्विं. में)	क्रय मूल्य (रु. लाख में)
12,79,468	59,745.70

2.2 वाणिज्यिक क्रिया-कलाप:

31 मार्च, 2024 तक के वार्षिक लेखों के अनुसार वर्ष 2023-24 के वाणिज्यिक क्रिया-कलाप की वित्तीय स्थिति का सारांश निम्नानुसार है:-

क्रय की मात्रा (क्विं. में)	क्रय मूल्य (रु. लाख में)
शून्य	0.00

कार्पोरेट का सामाजिक उत्तरदायित्व

निगम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में सीएसआर क्रिया-कलाप के अंतर्गत दायित्वों का निर्वहन करता है क्योंकि यह सीएसआर क्रिया-कलापों को अनिवार्य रूप से संचालित करने के लिए उसमें उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है। अपनी सीएसआर योजना के अंतर्गत की जाने वाली क्रिया-कलापों का निर्धारण करते समय निगम सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधी जारी दिशा-निदेशों का पालन करता है।

निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में एक सीएसआर समिति का गठन किया है जिसमें समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री गौरव कुमार, आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय एवं श्री अजय कुमार जॉली, एमडी, भापनि और श्री पूर्णेश गुरुरानी, निदेशक(फाइबर), वस्त्र मंत्रालय इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं। समिति के अन्य सदस्य स्व· अमिताभ सिन्हा, निदेशक (वित्त) का दुर्भाग्यवश 27.02.2024 को निधन हो गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुपालन में गणना के अनुसार 9.39 लाख रुपये खर्च करना था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दिए गए बजट के अंदर प्रस्तावित क्रिया-कलापें, जैसाकि सीएसआर समिति द्वारा संस्तुति की गई है और बाद में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया, निम्न प्रकार हैं:

मद	अनुमोदित राशि (रु. में)
मरीजों के कल्याण के लिए एक एसी एम्बुलेंस के लिए सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट	7,50,000/-
केंद्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को "सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष" में अंशदान के लिए वित्तीय सहायता	2,00,000/-
कुल	**9,50,000/-**

कार्पोरेट गोवर्नेन्स

निगम कंपनी अधिनियम, 2013 के ढांचे के अंदर कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स अभ्यास के उच्च मानकों को बनाए रखने का प्रयास करता है। समय-समय पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स एवं अन्य संबंधित पहलुओं से संबंधित नवीनतम दिशा-निर्देशों पर सतर्कतापूर्वक नज़र रखी जाती है और उनका पालन किया जाता है। निगम को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुपालन के आधार पर सीपीएसईज की ग्रेडिंग प्रणाली में "उत्कृष्ट" ग्रेड प्राप्त हो रहा है।

कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट निदेशक के रिपोर्ट में दी गई है।

निगम अपने क्रिया-कलापों में पारदर्शिता और जवाबदेही के मानकों को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। निगम के बोर्ड में पहले भी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई थी, जिससे कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स अभ्यास के महत्व को अधिक पेशेवर और दूरदर्शी तरीके से समझने में बहुत मदद मिली और इसके निर्णय लेने में अधिक निष्पक्षता आई। वर्तमान में, निगम के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है। हालाँकि, इस मामले को प्रशासनिक मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है और उम्मीद है कि जल्द ही निगम के बोर्ड में नए स्वतंत्र निदेशक होंगे।

मानव संसाधन प्रबंधन

मानव संसाधन विभाग निगम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में, निगम परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जहाँ कई नए भर्ती हुए कर्मचारी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की जगह ले रहे हैं और मानव संसाधन विभाग उन्हें उनकी निर्धारित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को सर्वोत्तम संभव तरीके से निभाने के लिए आवश्यक अभिविन्यास और प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कर्मचारियों के सीखने और विकास की आवश्यकता और महत्व को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। मानव संसाधन विभाग कर्मचारियों को बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने और उन्हें उनके संबंधित व्यवसायों में हो रहे बदलावों को स्वीकार करने और उनके अनुकूल होने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध शिक्षण/प्रशिक्षण सुविधाओं की निरंतर खोज में है। इन उद्देश्यों को साकार करने के लिए मानव संसाधन विभाग कार्यबल की जरूरतों और प्रोफाइल के अनुसार प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की पहचान करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया को अंजाम देता है और इस तरह के प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करता है ताकि वे सबसे कुशल तरीके से उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित हों। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भी कर्मचारियों को विविध विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया, जो निम्नानुसार हैं:

प्रबंधन विकास कार्यक्रम, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पर ध्यान केंद्रित करने के साथ कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, 'जागरूकता के लिए मिशन लाइफस्टाइल' पर ऑनलाइन सत्र, मानव संसाधन स्थापना नियमों पर कार्यशाला, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023-क्षमता निर्माण अभियान और आईओज/पीओज के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु डोमेन क्षेत्र, सार्वजनिक निजी भागीदारी में सर्टिफिकेट कोर्स, उत्पादकता सुधार के लिए सॉफ्ट कौशल पर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिजिटल परिवर्तन और आपूर्ति श्रृंखला विश्लेषण पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम, भर्ती नियम, रोस्टर और सेवाओं में आरक्षण, मेंटरिंग पर कार्यशाला, प्रशासनिक सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, सतर्कता दृष्टिकोण वाली शिकायतों का निपटान/जांच/अन्वेषण, ई-गवर्नेंस और आईसीटी के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन, नियामक परिदृश्य और ईएसजी फ्रेमवर्क में बदलाव, व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग, कर प्रबंधन, अग्रिम कर, टीडीएस और कर नियोजन पर कार्यशाला।

वर्ष के दौरान निगम में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहा।

आगे की ओर देखना

जैसाकि मैंने अपने विगत रिपोर्ट में बताया है, निगम ने कच्चे जूट में एमएसपी परिचालन के अपने अधिदेश को अपना मुख्य फोकस क्षेत्र बनाए रखते हुए, धीरे-धीरे लेकिन लगातार अपनी गतिविधियों के विविधीकरण की ओर कदम बढ़ाया है ताकि बदलते समय में प्रासंगिक बने रह सकें और साथ ही भारत सरकार सहित अपने हितधारकों को अधिक कुशलतापूर्वक सेवा प्रदान कर सकें।

इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम परिचालन को आधुनिक बनाने की दिशा में उठाया गया प्रयास है। इसमें सभी अपने विभागीय क्रय केंद्रों पर सीसीटीवी लगाना, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को ब्रॉड बैंड इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना और उन्हें कंप्यूटर और प्रिंटर से लैस करना शामिल है। अग्निशमन उपायों को मजबूत किया गया है।

कच्चे जूट की खरीद के लिए किसानों को 3 कार्य दिवसों के अंदर भुगतान की निगम की प्रणाली को पूरे जूट क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और यह समान कार्यों में लगे अन्य सीपीएसईज के लिए एक मानक बन गया है।

जैसाकि मेरे विगत रिपोर्ट में बताया गया था, निगम ने जूट क्षेत्र के लिए कुछ अभिनव परियोजनाओं के कार्यान्वयन में खुद को शामिल किया था जैसे कच्चे जूट की आपूर्ति श्रृंखला में ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन, कच्चे जूट के व्यापार के लिए ई-नीलामी मंच का प्रावधान। विगत वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं का और विकास हुआ है और वर्तमान में ये क्रियान्वित होने के अंतिम चरण में हैं।

इसके अतिरिक्त, परिचालन सॉफ्टवेयर का विकास कार्य, ई-ऑफिस का कार्यान्वयन, एचआरएमएस भी प्रारंभ हो गए हैं, जिससे निगम के दैनिक कार्यों में अधिक दक्षता और प्रभावशीलता आई है।

तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम् (टीटीडी) में एल्युमिनियम कोटेड इको-फ्रेंडली जूट बैग के वितरण के लिए काउंटर भी परिपक्व हो गया है और लगातार मजबूत होता जा रहा है।

प्रमाणित जूट बीजों का वाणिज्यिक वितरण भी निगम की वैकल्पिक राजस्व सृजन योजना की नियमित पाठ्यचर्या का हिस्सा बन गया है।

भविष्य में बेहतर परिणामों के लिए जियो-टेक्सटाइल्स, एग्रो-टेक्सटाइल्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नए जोश के साथ पुनः जीवंत किया गया है।

निगम एनजेबी की प्रतिष्ठित जूट आई-केयर परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है जो वर्तमान में अपने 10वें चरण में है।

अंत में, यह तथ्य कि निगम फसल वर्ष 2023-24 के दौरान एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत कच्चे जूट की रिकॉर्ड खरीद करने में कामयाब रहा है जो 13.17 लाख क्विंटल है। यह विगत 15 वर्षों में सबसे अधिक खरीद मात्रा है जो इस बात का प्रमाण है कि आधुनिकीकरण और विविधीकरण के अपने सभी प्रयासों के बावजूद इसका ध्यान अपने संचालन के मुख्य क्षेत्र पर अडिग रहा है।

अभिस्वीकृति

अंतिम लेकिन कम नहीं, मैं इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय, पटसन आयुक्त के कार्यालय, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड तथा अन्य सभी जूट से संबंधित निकायों के अधिकारियों के प्रति वर्षों से उनके निरंतर समर्थन और संरक्षण के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

(अजय कुमार जॉली)

प्रबंध निदेशक

निदेशकों का रिपोर्ट
वर्ष 2023-24

प्रिय शेयरधारीगण,

बोर्ड के निदेशकगण की ओर से निगम के कार्य-निष्पादन से संबंधित 53वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट एवं 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित लेखों एवं उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट शेयरधारकों के अवलोकन के लिए रखी गई है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान निगम के कार्यों का मुख्य क्रिया-कलापें नीचे दर्शाये जा रहे हैं:

1. कच्चे जूट की मांग-आपूर्ति का परिदृश्य

कच्चे जूट की आपूर्ति श्रृंखला में 2022-23 से लाये गये 23.00 लाख गांठ जूट से फसल वर्ष 2023-24 का प्रारंभ हुआ। जूट विशेषज्ञ समिति (ईसीजे) द्वारा किये गये जूट फसल के आकलन के आधार पर देश में कच्चे जूट का कुल उत्पादन 91 लाख गांठ (180 कि.ग्रा. प्रति गांठ) होने का पूर्वानुमान था। भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 300/- रुपये (रु.4750/- - रु.5050/-) की बढ़ोत्तरी की गई। वर्ष 2022-23 के उत्पादन का अंतिम अनुमान 91 लाख गांठ की तुलना में इस वर्ष उत्पादन का अंतिम अनुमान 90 लाख गांठ रहा। बांग्लादेश से आयात लगभग 6.00 लाख गांठ होने का अनुमान था। इसमें से प्रारंभिक अनुमानित मिल खपत 78 लाख गांठ की जगह वास्तविक मिल खपत 72 लाख गांठ था। प्रारंभिक अनुमानित खपत 15 लाख गांठ की जगह घरेलू खपत का अंतिम अनुमान 15 लाख गांठ रहा। इसके अलावा 2.00 लाख गांठों का निर्यात भी होने का अनुमान था। फसल वर्ष 2024-25 के लिए 30.00 लाख गांठ लाया गया। फसल वर्ष के दौरान फसल का कीमत एमएसपी से कम रहा। फलस्वरूप, संबंधित फसल वर्ष के दौरान एमएसपी के अंतर्गत लगभग 13.17 लाख क्विंटल जूट की खरीद हुई, जो विगत 15 वर्षों में निगम द्वारा की गई सबसे अधिक खरीद है।

फसल वर्ष 2024-25 के दौरान विगत वर्ष के अधिक लाए गए जूट तथा तैयार सामानों की कम मांग के कारण एक और बड़ी एमएसपी की परिस्थिति की आशंका है।

2. क्रिया-कलाप की समीक्षा

2.1 न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रिया-कलाप

भारत सरकार ने फसल वर्ष 2023-24 के लिए अखिल भारतीय स्तर पर टीडी-3 (टीडी5 के स्थान पर) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 5050/- रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया था। यह एमएसपी स्तर फसल वर्ष 2022-23 के एमएसपी से 300/- रुपये प्रति क्विंटल अधिक था। इस क्रम में पटसन आयुक्त के कार्यालय ने घोषित एमएसपी के आधार पर कच्चे जूट के विभिन्न किस्मों एवं श्रेणियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया।

31 मार्च, 2024 तक के वार्षिक लेखों के अनुसार वर्ष 2023-24 के एमएसपी क्रिया-कलाप की वित्तीय स्थिति का सारांश निम्नानुसार है:-

क्रय की मात्रा (क्विं. में)	क्रय मूल्य (रु. लाख में)
12,79,468	59,745.70

2.2 वाणिज्यिक क्रिया-कलाप

31 मार्च, 2024 तक के वार्षिक लेखों के अनुसार वर्ष 2023-24 के वाणिज्यिक क्रिया-कलाप की वित्तीय स्थिति का सारांश निम्नानुसार है:-

क्रय की मात्रा (क्विं. में)	क्रय मूल्य (रु. लाख में)
शून्य	0.00

3. वित्तीय समीक्षा

3.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत लगभग 12.79 लाख क्विं. कच्चे जूट की खरीद की।

3.2 वर्ष 2023-24 के दौरान निगम का कुल कारोबार 59701.91 लाख रु. का रहा। परिचालन परिणाम यह दर्शाता है कि सभी बंधे खर्च, भाड़ा, बीमा, ब्याज, मूल्यह्रास और सेवानिवृत कर्मचारियों की छुट्टी भुनाने के लाभ के प्रावधान चार्ज करने के उपरांत शुद्ध लाभ (पीएटी) 4611.68 लाख रु. हुआ है। वर्ष के अंत में आरक्षित एवं अधिशेष खाते में शेष जमा राशि 17763.01 लाख रु. है जैसाकि तुलन-पत्र में दर्शाया गया है।

3.3 विगत वर्ष के कर के उपरांत लाभ (पीएटी) 1000.60 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष कर के उपरांत लाभ (पीएटी) 4611.68 लाख रु. है।

3.4 2023-24 में कंपनी का अर्जित प्रति शेयर (अंकित मूल्य 100 रु.) विगत वर्ष की राशि 200 रु. की तुलना में 922 रु. है।

3.5 निगम के पास प्रत्येक वर्ष 150 करोड़ रु. से अधिक का समुचित कच्चे जूट का कारोबार करने के लिए आधारभूत ढांचा एवं आवश्यक कार्यकारी पूंजी सीमा है।

3.6 इस वर्ष के प्रस्तावित लाभांश विगत वर्ष की राशि 718.50 लाख रु. की तुलना में 1383.50 लाख रु. है।

समीक्षाधीन इस वर्ष के वित्तीय परिणाम को **परिशिष्ट-'ए'** में दिखाया गया है।

4. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलाप के लिए निगम के आधारभूत ढांचा के रख-रखाव हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना

सरकार निगम को बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए आर्थिक सहायता का वार्षिक अनुदान प्रदान करता है और इसके बंधे खर्च को पूरा करता है ताकि जब भी एमएसपी की स्थिति उत्पन्न हो तो निगम एमएसपी क्रिया-कलाप करने के लिए सदैव तैयार रहे।

इसके अलावा, इस रिपोर्ट के विगत संस्करणों में बताया गया था कि भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए निगम को 245.87 करोड़ रुपये (पांच वर्षों हेतु) की आर्थिक सहायता की मंजूरी दी थी जो वर्तमान में प्रचलन में है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार ने एमएसपी क्रिया-कलाप हेतु बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए आर्थिक सहायता के रूप में निगम को 28.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

5. जूट विविध उत्पादों (जेडीपीज) के विपणन के लिए वाणिज्यिक क्रिया-कलाप

जैसाकि पहले बताया गया है, निगम ने तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम् में प्रसाद वितरण के लिए जूट बैग की आपूर्ति का व्यवसाय शुरू किया था। व्यवसाय को और समेकित किया गया है एवं यह सुचारू रूप से चल रहा है।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को वर्तमान में जेडीपी के वितरण के लिए एक व्यवहार्य मंच के रूप में उपयोग करने हेतु सुधार की प्रक्रिया में रखा गया है।

जैसाकि विगत रिपोर्ट में बताया गया है, निगम ने जूट जियो-टेक्सटाइल्स सहित तकनीकी वस्त्रों के व्यवसाय में शुरुआती कदम उठाए हैं। वर्तमान में, यह धीरे-धीरे लेकिन लगातार संभावनाओं के संकेत दिखा रहा है। निगम को प्रतिष्ठित बिधान चंद्र कृषि विश्व विद्यालय से 500 जीएसएम गैर-बुने हुए जूट-जियो टेक्सटाइल्स के 1.5 लाख वर्ग मीटर की आपूर्ति के लिए एक आदेश प्राप्त हुआ है।

6. सामाजिक लागत-लाभ विश्लेषण

निगम कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लागू करने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। यह विगत 53 वर्षों से छोटे और सीमांत जूट किसानों के हित में अपने कर्तव्य का निरंतर निर्वहन कर रहा है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कच्चे जूट के बाजार मूल्य पूरे वर्ष सरकार द्वारा घोषित एमएसपी दरों के आसपास सीमित दायरे में रहे। तदनुसार, निगम को किसानों के हित में हस्तक्षेप करना पड़ा। फलस्वरूप, निगम ने एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत अधिक मात्रा में खरीद की, जो विगत दो दशकों में सबसे अधिक खरीद साबित हुई और इससे बड़ी संख्या में किसानों को लाभ हुआ।

वस्त्र मंत्रालय की जूट आई-केयर (जूट: उन्नत खेती और उन्नत रेटिंग अभ्यास) योजना की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में निगम ने 50% सब्सिडी दरों पर प्रमाणित जूट बीज वितरित किए हैं, जिसमें एचवाईवी (उच्च उपज किस्म) प्रकार की नई किस्में शामिल हैं।

उपरोक्त योजना के अंतर्गत जो वर्तमान में अपने नौवें वर्ष (लगातार) में है, निगम कई क्रिया-कलापें करता है जिन्हें राष्ट्रीय पटसन बोर्ड के तत्वावधान में क्रियान्वित किया जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य बेहतर मूल्य प्राप्ति और मूल्य संवर्धन के लिए उत्पादकता और फाइबर की गुणवत्ता में सुधार करते हुए कच्चे जूट के उत्पादन की लागत को कम करना है। इस परियोजना में पंजीकृत किसानों को सब्सिडी पर प्रमाणित जूट के बीज वितरित करना, जागरूकता शिविर आयोजित करना, कृषि-सलाह जारी करना और बीज ड्रिल एवं साइकिल वीडर जैसे उन्नत कृषि उपकरणों तथा क्राईजाफ-सोना व निनफेट साथी जैसे रेटिंग एक्सेलेरेटर्स का निःशुल्क वितरण शामिल है।

इस परियोजना में शामिल उन्नत कृषि पद्धतियां हैं - सीड ड्रिल का उपयोग करते हुए लाइन बुवाई, मैकेनिकल नेल-वीडर द्वारा जूट फसल में

खरपतवार प्रबंधन और उसमें शामिल श्रम लागत को कम करने के लिए हाथ से निराई करने के बजाय साइकिल वीडर और गुणवत्ता प्रमाणित जूट बीजों के वितरण।

इस परियोजना के अंतर्गत पंजीकृत जूट कृषकों को निम्नलिखित सहयोग का विस्तार किया गया है:

i) बहुत अधिक अंकुरण दर एवं अधिक उत्पादकता वाले 100% प्रमाणित जूट बीज प्रदान करना।

ii) बीज ड्रील, नैल वीडर/साइकिल वीडर का उपयोग करते हुए यांत्रिक हस्तक्षेप के साथ कृषकों के खेतों में अपनाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से जूट की खेती प्रथा का प्रदर्शन करना।

iii) रेटिंग के गुणवत्ता को बढ़ाने और रेटिंग समय को कम करने के लिए तीन अलग-अलग रेटिंग एक्सेलरेटर्स अर्थात् क्राइजाफ सोना, निनफेट साथी और इजिरा सुभ्रा का प्रदर्शन/वितरण करना।

इस परियोजना के अंतर्गत 2015 से प्रत्येक वर्ष चरणबद्ध ढंग से क्रिया-कलाप किये जा रहे हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान आई-केयर के चरण-IX के अंतर्गत की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	ब्यौरा	क्रिया-कलाप
1.	कवर किये गये जूट उगाने वाले ब्लॉक/राज्य की सं.	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा एवं झारखंड के अंतर्गत 249 ब्लॉक।
2.	जमीन कवर किया गया (हेक्टर)	28316
3.	कवर किये गये कृषकों की संख्या	72764
4.	प्रमाणित जूट बीज प्रदान किया गया (सीओ-58/जेबीओ-2003एच/जेआरओ-204/जेआरओएम-1/जेबीओ-1/जेआरसी-532) किस्म (मीट्रिक टन में)	443
5.	बीज ड्रील मशीन/जूट सीडर मशीन	800
6.	नैल वीडर मशीन/साइकिल वीडर	800
7.	रेटिंग एक्सीलेरैटर (क्राइजाफ सोना पाउडर/निनफेट साथी) (मीट्रिक टन में)	750
8.	बुवाई, वीडिंग और रेटिंग का प्रदर्शन	4975

एनआरएससी/इसरो, जेसीआई और एनजेबी के बीच समझौता ज्ञापन:

निगम ने राष्ट्रीय पटसन बोर्ड (एनजेबी) के साथ मिलकर जूट क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के समर्थन के लिए एनआरएससी/इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि उपग्रह और भू-स्थानिक डेटा का उपयोग करके मूल्य स्थिरीकरण और किसान कल्याण की दिशा में जूट फसल की स्थिति और उत्पादन के अनुमानों का आकलन करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक की शुरूआत की जा सके। अब तक लगभग 26,306 डेटा कैप्चर किए जा चुके हैं।

7. प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

(ए) उद्योग ढांचा और विकास

भापनि द्वारा शासित एमएसपी क्रिया-कलाप का प्रावधान कच्चे जूट के बाजार एवं जूट उद्योग का मुख्य आधार है। भापनि कच्चे जूट के कीमतों में एमएसपी स्तर पर गिरावट के मामूली संकेत आने पर कृषकों को एमएसपी का सहायता प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। वर्ष के दौरान अधिक एमएसपी की स्थिति के दौरान खरीद को पूरक बनाने के लिए भंडारण क्षमता बढ़ाने हेतु अतिरिक्त गोदामों को किराए पर लिया गया है। उपरोक्त के अलावा, अधिकतम संख्या में जूट किसानों तक पहुँचने के लिए एफपीओज, एसएचजीज और सहकारी समितियों को एमएसपी क्रिया-कलाप की आउटसोर्सिंग की गई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कच्चे जूट के बाजार मूल्य बंपर फसल उत्पादन के साथ-साथ विगत वर्ष के लाए गए जूट के कारण एमएसपी स्तर के आसपास रहे, जिससे मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निगम ने लगभग 12.77 लाख क्विंटल कच्चे जूट की खरीद करके पूरे वर्ष अधिक मात्रा में एमएसपी क्रिया-कलाप किया।

(बी) सुअवसर एवं खतरा/जोखिम व इससे संबंधित

- **सुअवसर**
  - एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध की घोषणा से जूट कैरी बैग के प्रसार का अवसर बढ़ गया है।
  - तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम् (टीटीडी) : आम जनता के बीच पर्यावरण हितैषी जूट बैगों के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ने से निगम को ग्राहकों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ कारोबार बढ़ाने में मदद मिल रही है।
  - जियो टेक्सटाइल्स और एग्रो टेक्सटाइल्स व्यवसाय को पहले ही उत्साहजनक प्रत्युत्तर मिल चुका है और निगम दोनों वर्टिकल में कुछ व्यवसाय सृजित करने में सफल रहा है।
  - पारंपरिक एमएसपी क्रिया-कलाप को बढ़ाने के लिए भापनि ने अपनी ओर से खरीद करने के लिए सरकारी समितियों को काम पर लगा रहा है जिससे परिमाण एवं कुल कारोबार दोनों ही बढ़ रहे हैं।
  - जेडीपी का वितरण निगम के लिए व्यवहार्य व्यवसाय के रूप में उभरा है।
  - निगम सफलतापूर्वक प्रमाणित जूट बीज का वाणिज्यिक वितरण कर रहा है।
- **जोखिम एवं संबंधित/खतरा**
  - जबकि शासनादेश के अनुसार भापनि एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत सभी प्रकार के कच्चे जूट की खरीद करने के लिए बाध्य है जिसमें निम्न श्रेणी शामिल है, लेकिन इसका निपटान करते समय मिलें इस बहाने निम्न श्रेणी के जूट लेने के लिए अनिच्छुक हैं कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देश के अनुसार इसका उपयोग बी.ट्वील बैग बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। उच्च ग्रेड शायद ही कभी निगम में

आते हैं क्योंकि उच्च ग्रेड के लिए प्रचलित बाजार कीमतें हमेशा एमएसपी दरों से अधिक होती हैं।

— कुछ नए लोगों के आने के बावजूद कुशल जनशक्ति की भारी कमी है। नए लोगों को आवश्यक विशेषज्ञता प्राप्त करने से पहले कुछ सीज़न की आवश्यकता होती है। अधिक एमएसपी वाले वर्ष बीत चुका है और ऐसा लगता है कि खरीद के लिए योग्यता स्तर एक मुद्दा है क्योंकि खरीद की मात्रा बड़ी है। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के कारण प्रशिक्षित जनशक्ति का लगातार कमी हो रहा है।

— गोदामों को बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि मालिकगण किराए के लिए चालू बाजार दरों की मांग कर रहे हैं।

— बीआईएस द्वारा निर्धारित पांच ग्रेड प्रणाली को अपनाने तथा 8 ग्रेड ग्रेडिंग की वर्तमान प्रणाली को जारी रखने के प्रति उद्योग की उदासीनता।

(सी) दृष्टिकोण

- निगम ने किसानों द्वारा एमएसपी पर दिए जाने वाले सभी कच्चे जूट को खरीदने और भंडारण करने के लिए सभी कदम उठाए हैं।
- निगम ने क्रिया-कलाप को सरल बनाने और तेजी से काम करने के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल शुरू किया है। सभी डीपीसीज/आरओज में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और बुनियादी आईटी इंफ्रा का नवीनीकरण किया जा रहा है। अधिकांश क्रय केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू शुरू किए गए हैं। किसानों की सकारात्मक पहचान के लिए आधार (यूआईडीएआई) के साथ ई-केवाईसी शुरू किया जा रहा है। ई-ऑफिस, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी और ई-नीलामी आगे का रास्ता होगा।
- सभी सुदूर केन्द्रों में सीसीटीवी और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली नए आईटी आधारित सुरक्षा उपाय हैं।
- सभी डीपीसीज के लिए नए डिजिटल नमी मीटर का प्रावधान किया गया है और पोर्टेबल डिजिटल ग्रेडिंग मशीनें लाई जा रही हैं।
- सीएमईआरआई द्वारा विकसित प्रोटोटाइप के साथ इलेक्ट्रो-हाइड्रोलिक बेल प्रेस मशीनें पेश की जाएंगी।
- निगम की व्यापक जनशक्ति योजना के अनुसार फील्ड स्तर पर भर्ती के मुद्दे का हल भी किया जा रहा है।
- निगम उत्कृष्टता की अपनी खोज जारी रखेगा और आत्मनिर्भरता के लिए अपने व्यवसाय का विस्तार करने के तरीकों और साधनों का अनुसरण करेगा।

(डी) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी उपयुक्तता

निगम ने दक्ष संसाधन, लागत नियंत्रण, सांविधिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन और वित्तीय रिपोर्ट की विश्वासनीयता को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत और व्यापक विकास किया है। लेखापरीक्षा समिति निगम के आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, वित्तीय कार्य-निष्पादन की समीक्षा करती है एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने का सुझाव देती है।

(ई) परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय निष्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:

— विगत वर्ष के दौरान 16528 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान एमएसपी के अंतर्गत कच्चे जूट का क्रय 59745.70 लाख रु. का रहा।

— विगत वर्ष के दौरान 7745.14 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत कच्चे जूट का क्रय शून्य रहा।

— विगत वर्ष के दौरान 10482.84 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान एमएसपी के अंतर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट का विक्रय 55694.75 लाख रु. का रहा।

— विगत वर्ष के दौरान 219.36 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट का विक्रय शून्य रहा।

— निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 4611.68 लाख रुपए का कर के उपरांत लाभ (पीएटी) अर्जित किया, जबकि विगत वर्ष के दौरान इसने 1000.60 लाख रुपए का कर के उपरांत लाभ (पीएटी) अर्जित किया था। इसका मुख्य कारण एमएसपी का होना है जिससे विगत वर्ष की तुलना में अधिक बिक्री हुई।

(एफ) मानवीय श्रोत एवं औद्योगिक संबंध

निगम अपने कर्मचारियों की क्षमता, कौशल और ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की संस्कृति में विश्वास करता है ताकि उन्हें उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुकूल बनाया जा सके और उन्हें अधिक सक्षम एवं साधन संपन्न बनाया जा सके। सीखना और विकास उन्हें उनकी भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार होने में भी मदद करता है। इस दिशा में मानव संसाधन विभाग द्वारा विविध विषयों पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहा।

(जी) सतर्कता विवरण

रिपोर्ट के इस भाग में दी गई विवरण मानी हुई बात एवं आगे की घटनाओं की उम्मीद पर आधारित है। फिर भी वास्तविक परिणाम दर्शाये अथवा कार्यान्वित किये गये से भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो भिन्न बना सकता है उसमें सरकार द्वारा निगम को वित्तीय सहयोग में परिवर्तन, सरकारी विनियम में परिवर्तन, उद्योग में औद्योगिक संबंध का माहौल एवं अन्य कारक जैसे मुकदमेबाजी शामिल हैं।

8. कार्पोरेट का सामाजिक उत्तरदायित्व

निगम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में सीएसआर क्रिया-कलाप के अंतर्गत दायित्वों का निर्वहन करता है क्योंकि यह सीएसआर क्रिया-कलापों को अनिवार्य रूप से संचालित करने के लिए उसमें उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है। अपनी सीएसआर योजना के अंतर्गत की जाने वाली क्रिया-कलापों का निर्धारण करते समय निगम सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के

उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधी जारी दिशा-निदेशों का पालन करता है।

निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में एक सीएसआर समिति का गठन किया है जिसमें समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री गौरव कुमार, आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय एवं श्री अजय कुमार जॉली, एमडी, भापनि और श्री पूर्णेश गुरुरानी, निदेशक (फाइबर), वस्त्र मंत्रालय इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं। समिति के अन्य सदस्य श्री अमिताभ सिन्हा, निदेशक (वित्त) का दुर्भाग्यवश 27.02.2024 को निधन हो गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुपालन में गणना के अनुसार 9.39 लाख रुपये खर्च करना था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दिए गए बजट के अंदर प्रस्तावित क्रिया-कलापें, जैसाकि सीएसआर समिति द्वारा संस्तुति की गई है और बाद में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया, निम्न प्रकार हैं:

मद	**आनुमोदित राशि (रू. में)**
मरीजों के कल्याण के लिए एक एसी एम्बुलेंस के लिए सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट	7,50,000/-
केंद्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को "सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष" में अंशदान के लिए वित्तीय सहायता	2,00,000/-
कुल	**9,50,000/-**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के सीएसआर क्रिया-कलापों के लिए आवंटित पूरा बजट संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के सीएसआर क्रिया-कलाप से संबंधित विवरण को **परिशिष्ट "सी"** के रूप में दिया गया है।

9. कार्पोरेट गवर्नेंस

(ए) 1971 में निगम को कंपनी अधिनियम 1956 (अधिनियम) के अंतर्गत प्राइवेट लिमिटेड सरकारी कंपनी के रूप में समाविष्ट किया गया था जिसका मूल उद्देश्य था कि जब कच्चे जूट का बाजार मूल्य एमएसपी पर या उससे नीचे रहेगा तब न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीद कर जूट कृषकों को पारिश्रमिक मूल्य प्रदान करना। वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) द्वारा दी गयी निधि का उपयोग एमएसपी क्रिया-कलाप के बुनियादी ढांचे का रख-रखाव करने के लिए किया जाता है जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि इस निधि का सही ढंग से उपयोग हो। निगम ने अत्यधिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ सरकारी अनुदान के बेहतर उपयोग में लगातार सुधार करने की कोशिश की है।

(बी) 31.03.2024 तक बोर्ड के निदेशकगण – निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के अनुसार सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई है।

बोर्ड की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति रिकार्ड:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	बोर्ड की बैठकों की कुल सं.	निदेशक के कार्यकाल के दौरान बोर्ड की बैठकों की सं.	बोर्ड की बैठकों में उपस्थित	क्या विगत एजीएम में उपस्थित रहे (23.11.2023)
1.	श्री अजय कुमार जॉली (डीआईएन:08427305) (01.02.2019 से)	प्रबंध निदेशक	4	4	4	हां
2.	श्री गौरव कुमार (डीआईएन:02819625) (08.12.2020 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	4	4	-
3.	सुश्री प्राजक्ता एल वर्मा (डीआईएन:05117895) (15.07.2022 से 22.06.2023)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	0	0	-
4.	स्व॰ अमिताभ सिन्हा (डीआईएन:09022866) (10.12.2021 से 27.02.2024)	निदेशक (वित्त)	4	3	3	हां
5.	श्री पूर्णेश गुरुरानी (डीआईएन:10277956) (22.06.2023 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	4	4	हां
बोर्ड की बैठकों की तिथि: 22.06.2023, 26.09.2023, 23.11.2023 एवं 28.03.2024						

(सी) 31.03.2024 तक लेखापरीक्षा समिति – निगम की मूल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे कार्पोरेट अनुभव का अनुसरण करने के लिए इस अधिनियम की धारा 292ए एवं इससे संबंधित प्रासंगिक/अनुषंगिक विनियम के अनुसार 2001 में निगम के लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया। लेखापरीक्षा समिति का कोरम दो सदस्यों का है।

समिति में निम्नलिखित समाविष्ट हैं:

1. श्री गौरव कुमार, सरकार द्वारा नामित निदेशक – अध्यक्ष
2. श्री पूर्णेश गुरुरानी, सरकार द्वारा नामित निदेशक – सदस्य
3. श्री अजय कुमार जॉली, प्रबंध निदेशक – सदस्य

निदेशक (वित्त) लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित व्यक्ति हैं।

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

इस समिति से संबंधित शर्तों का संक्षिप्त ब्यौरा है:

(ए) कंपनी के वित्तीय विवरणियों एवं अन्य रिपोर्टों का समय-समय पर समीक्षा करना।

(बी) मुख्यत: निम्नलिखित पर प्रकाश डालते हुए वार्षिक वित्तीय विवरणियों एवं रिपोर्टों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन एवं लेखापरीक्षकों के साथ समीक्षा करना।

(i) लेखाकरण नीतियों एवं पद्धतियों में कोई परिवर्तन करना।

(ii) लेखापरीक्षा द्वारा उठाने पर योग्यताओं एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं का समायोजन करना।

(iii) सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय ग्रहण करना।

(iv) लेखाकरण मानकों का अनुपालन करना।

(v) प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों से संबंधित तथ्य का आदान-प्रदान करना।

(vi) लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारित करने के लिए बोर्ड के पास संस्तुति करना।

(vii) सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके द्वारा दी गई कोई अन्य सेवा के लिए भुगतान का अनुमोदन करना।

(viii) बोर्ड में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ समीक्षा करना एवं यह सुनिश्चित करना कि कंपनी की वार्षिक वित्तीय विवरणियां और लेखापरीक्षा लागू कानून, विनियम एवं कंपनी के नीतियों के अनुसार हैं।

(ix) आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्य-निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

(x) निगम के किसी भी कर्मचारी से सूचना लेने का प्रयास करना।

(xi) यदि आवश्यकता हुई तो बाहर से कानूनी या किसी दूसरे विशेषज्ञों की सहायता सुनिश्चित करना।

(xii) लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता को मजबूत करते हुए विरोधों को कम करना।

(xiii) आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम वाले प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए सुनिश्चित करना।

(xiv) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया अथवा बाहरी लेखापरीक्षकों को अनियमितताओं की जानकारी देने वाले कर्मचारियों एवं अन्यान्य को संरक्षण देना (पहरेदारों को संरक्षण देना)।

(xv) प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं वित्तीय स्थिति व क्रिया-कलाप के परिणाम के विश्लेषण का समीक्षा करना।

(xvi) प्रबंधन एवं लेखापरीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, आंतरिक लेखापरीक्षा की कार्य-प्रणाली, रिपोर्ट करने की संरचना एवं आंतरिक लेखापरीक्षा के अंतराल की समीक्षा करना।

(xvii) कंपनी के वित्तीय एवं अन्य प्रबंधन के नीतियों की समीक्षा करना।

ऐसे अन्य विषयों का निपटारा करना जिसे बोर्ड द्वारा लिखित रूप से इसके पास भेजा जाता है या संगठन के हित में इसे आवश्यक समझा जाता है।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति रिकार्ड:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की कुल सं.	निदेशक के कार्यकाल के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की सं.	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थित
1.	सुश्री प्राजक्ता एल वर्मा (15.07.2022 से 22.06.2023)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	0	0
2.	श्री गौरव कुमार (08.12.2020 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	4	4
3.	श्री अजय कुमार जॉली (01.02.2019 से)	प्रबंध निदेशक	4	4	4
4.	श्री पूर्णेश गुरुरानी (22.06.2023 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	4	4
लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की तिथि: 22.06.2023, 26.09.2023, 23.11.2023 एवं 28.03.2024					

(डी) साधारण निकाय की बैठकें:

क्र. सं.		2020-21 (50वीं एजीएम)	2021-22 (51वीं एजीएम)	2022-23 (52वीं एजीएम)
1.	तिथि	14.12.2021	25.11.2022	23.11.2023
2.	समय	अपराह्न 3.00 बजे	अपराह्न 3.00 बजे	शाम 5.00 बजे
3.	स्थान	निगम के पंजीकृत कार्यालय, 15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700087 में वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से	निगम के पंजीकृत कार्यालय, 15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700087 में वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से	निगम के पंजीकृत कार्यालय, 15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700087 में वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से

(ई) प्रकटन:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013, लेखाकरण मानक पद्धति एवं अन्य लागू अधिनियम/नियम के अंतर्गत प्रकटन अपेक्षित है।

(ii) विगत तीन वर्षों के दौरान निगम पर कोई दंड/अवक्षेप नहीं लगा है।

(iii) कर्मचारीगण अपने पर्यवेक्षकों/मुख्य सतर्कता अधिकारी/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास नियम/विनियम के उल्लंघन का रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(iv) मार्ग-दर्शन में विनिर्दिष्ट बिंदुओं का यथासंभव अनुपालन किया गया है।

(v) केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यक्षीय निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(vi) कोई भी ऐसे खर्च को लेखा-बही में नहीं दर्शाया गया है जो व्यवसाय से संबंधित नहीं है।

(vii) व्यक्तिगत खर्च का वहन नहीं किया गया है किंतु बैठकों से संबंधित निदेशकों के लिए आवासीय प्रभार आदि के रूप में खर्च किया गया है।

(viii) अन्य सूचना:

(ए) बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकें एवं कार्यवाही –

प्रत्येक वर्ष बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की न्यूनतम बैठकें की जाती हैं जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है। बोर्ड के समक्ष साधारणत: निम्नलिखित सूचनाएं रखी गई:

(ए) कार्यवृत्त की पुष्टि।

(बी) अनुवर्ती कार्रवाई।

(सी) कच्चे जूट के विपणन से संबंधित रिपोर्ट।

(डी) जूट बीजों का वितरण।

(ई) कानूनी मामलें।

(एफ) सतर्कता से संबंधित रिपोर्ट।

(जी) सांविधिक अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट।

(एच) वार्षिक लेखा।

(आई) लेखापरीक्षक।

(बी) बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची – बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की तिथियां निर्धारित होने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विभागीय प्रमुखों के साथ विचार-विमर्श करते हैं एवं निदेश देते हैं कि कार्यसूची से संबंधित कागजात कंपनी सचिव के पास निर्धारित समय सीमा के अंदर जमा कर दी जाए। कार्यसूची से संबंधित कागजात निदेशकों/सदस्यों के पास भेजी जाती है। ठीक वैसे ही बैठक के ड्राफ्ट कार्यवृत्त निदेशकों/सदस्यों के पास उनके विचारार्थ भेजी जाती है।

(सी) विगत बैठक से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई की क्रियाविधि – बोर्ड/समिति की आगामी बैठक में विगत बैठक के ड्राफ्ट कार्यवृत्त में दर्ज निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श की जाती है।

(डी) बोर्ड/समिति की बैठकों में कार्यवृत्त की रिकार्डिंग – कंपनी सचिव प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक के कार्यवृत्त को रिकार्ड करता है। अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन होने के उपरांत उसे सभी निदेशकों/सदस्यों के पास परिचालित किया जाता है। तत्पश्चात् बोर्ड/समिति की आगामी बैठक में इस कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है एवं तदनुसार उसे कार्यवृत्त बही में दर्ज की जाती है।

(ई) तिमाही रिपोर्ट

निगम ने वस्त्र मंत्रालय के पास कार्पोरेट गोवर्नेंस के अंश के रूप में लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुबंधित निर्धारित फार्मेट में तिमाही रिपोर्ट फाइल करता है। एक समेकित रिपोर्ट भी डीपीई के पास भेजी जाती है।

(एफ) बोर्ड के सदस्यगण एवं वरिष्ठ प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन हेतु व्यापार, आचरण एवं नीति संहिता का अंगीकरण – कार्पोरेट गोवर्नेंस के अंश के रूप में धोखेबाजी रोकथाम नीति एवं सीटी बजाने वाली नीति:

निगम ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस (सीपीएसईज) के कार्पोरेट गोवर्नेंस के मार्ग-दर्शन के आधार पर आचरण-संहिता, जोखिम प्रबंधन – धोखेबाजी रोकथाम नीति एवं सीटी बजाने वाली नीति विकसित की है जिसे बोर्ड के निदेशकगण द्वारा अपनाया गया है। प्रत्येक नीति की प्रति वेब-साइट :www.jutecorp.in पर रखी गई है।

10. लाभांश

चूंकि निगम ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ अर्जित किया है, इसलिए निदेशकों ने इस संबंध में डीआईपीएएम, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुपालन में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अपने शेयरधारक यानी भारत सरकार को प्रति शेयर रु. 276.70 (विगत वर्ष रु.143.70) के हिसाब से लाभांश के भुगतान की संस्तुति की है। लाभांश के रूप में व्यय 1383.50 लाख रुपये (विगत वर्ष 718.50 लाख रुपये) होगा। लाभांश का भुगतान आगामी वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।

11. 53 वर्षों के वित्तीय निष्पादन का परिदृश्य

53 वर्षों के दौरान प्रारंभ से 2023-24 तक निगम की वित्तीय निष्पादन का एक सूक्ष्म-वीक्षण **परिशिष्ट- "बी"** में दिया गया है जो लाभ-हानि और आर्थिक सहायता के लेखा-जोखा से संबंधित है।

12. निदेशकगणों के दायित्वपूर्ण वक्तव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (सी) के अनुसार निगम के बोर्ड के निदेशकगण पुष्टि करते हैं कि :

(i) वार्षिक लेखों की तैयारी करने में सामग्री को छोड़ने के संदर्भ में यदि कुछ होता है तो उसके उचित व्याख्या सहित लागू लेखाकरण मानकों को अपनाया गया है जैसाकि अलग से लेखाकरण नीति के टिप्पणियों में दर्शाया गया है।

(ii) उन्होंने ऐसी ही लेखाकरण नीतियों को चुना है और उसे संगतिपूर्वक लागू किया है एवं उचित व विवेक से निर्णय एवं अनुमानित किया है जिससे 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की कार्य-प्रणाली एवं उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ-हानि के दृष्टिकोण से एक सच्ची एवं स्वच्छ तस्वीर दिखाई देता है।

(iii) कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने एवं धोखा और अन्य अनियमिताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड्स के रख-रखाव को उचित ढंग से रखा है।

(iv) उन्होंने सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखों को तैयार किया है।

(v) कंपनी सूचीबद्ध नहीं होने के कारण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को रखने हेतु इस पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) का उप खंड(ई) लागू नहीं है।

(vi) उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणालियां तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो रही हैं।

13. लेखा पर लेखापरीक्षा के मंतव्य एवं वक्तव्य

समीक्षाधीन वर्ष के लिए निगम के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013, यथा संशोधित, के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों का मंतव्य प्रस्तुत किया जा रहा है।

14. मानवीय श्रोत प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध

निगम का मानव संसाधन विभाग कर्मचारियों के सीखने और विकास की आवश्यकता और महत्व को पहचानता है। मानव संसाधन विभाग कर्मचारियों को बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने और उन्हें उनसे संबंधित व्यवसायों में हो रहे बदलावों को स्वीकार करने और उसके अनुकूल ढलने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध शिक्षण/प्रशिक्षण सुविधाओं की निरंतर खोज में लगा हुआ है। इन उद्देश्यों को साकार करने के लिए मानव संसाधन विभाग कर्मचारियों की आवश्यकताओं और प्रोफ़ाइल के अनुसार प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करने की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है और इस तरह के प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करता है ताकि वे सबसे कुशल तरीके से उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित हों। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भी कर्मचारियों को विविध विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया, जो निम्नानुसार हैं:

- प्रबंधन विकास कार्यक्रम,
- कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952,
- 'जागरूकता के लिए मिशन जीवनशैली' पर ऑनलाइन सत्र,
- मानव संसाधन स्थापना नियमों पर कार्यशाला,
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 - क्षमता निर्माण अभियान और आईओज/पीओज के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का डोमेन क्षेत्र,
- सार्वजनिक निजी भागीदारी में सर्टिफिकेट कोर्स,
- उत्पादकता में सुधार के लिए सॉफ्ट कौशल पर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम,
- डिजिटल परिवर्तन और आपूर्ति श्रृंखला विश्लेषण, भर्ती नियम, रोस्टर और सेवाओं में आरक्षण पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम,
- मेंटरिंग पर कार्यशाला,
- प्रशासनिक सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम, सतर्कता दृष्टिकोण वाली शिकायतों का निपटान/जांच/अन्वेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम,
- ई-गवर्नेंस और आईसीटी के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन,

- बदलते नियामक परिदृश्य और ईएसजी ढांचे,
- व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग,
- कर प्रबंधन एवं अग्रिम कर, टीडीएस और कर नियोजन पर कार्यशाला।
- वर्ष के दौरान निगम में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहा।
- पोश (POSH) अधिनियम पर कार्यशाला।

15. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

निगम में सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन सख्ती से की जाती है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) को नामित किये गये हैं। मांगी गई सूचना नियत समय के अंदर दी जाती है।

16. मानव शक्ति

31.03.2024 तक निगम में 126 नियमित, 16 आकस्मिक एवं 119 संविदागत कर्मचारीगण थे।

17. अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.जा. की स्थिति

31.03.2024 तक निगम में स्थायी कर्मचारियों के रूप में 13 अनु.जाति, 05 अनु.जनजाति एवं 30 अ.पि.जाति थे।

18. परिवार कल्याण

परिवार कल्याण के संबंध में निगम ने समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करने के लिए सभी तरह का प्रयास किया है।

19. यौन उत्पीड़न संबंधी सरकारी निदेशों का अनुपालन

निगम ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोप) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में विधिवत् आंतरिक समिति का गठन किया है जिसमें निगम के प्रधान कार्यालय के चार वरिष्ठ कर्मचारी शामिल हैं जिनमें से दो महिलाएँ हैं। वर्ष के दौरान निगम की यौन उत्पीड़न निवारण समिति (POSH) को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसका विधिवत निपटारा कर दिया गया।

20. विकलांग व्यक्तियों के कव्याण हेतु निगम द्वारा उठाए गए कदमों का संक्षिप्त ब्यौरा

निगम को शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कोई विनिर्दिष्ट योजना नहीं सौंपी गई है और उसके लिए अलग से कोई बजट आवंटित नहीं की गई है। फिर भी, शारीरिक विकलांग व्यक्तियों को वाहन भत्ता पर खर्च की इजाजत दी जा रही है जो सामान्य मामले में भुगतान की गई वाहन भत्ता की राशि से दोगुना है।

31.03.2024 तक निगम के नियमित 09(नौ) शारीरिक विकलांग कर्मचारीगण इस व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे हैं।

21. राजभाषा का प्रचार-प्रसार

निगम राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हमेशा सक्रिय रहा है।

प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों को नियमित आधार पर हिंदी में प्रशिक्षण दिलाया जाता है। दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष हिंदी पखवाड़ा और हिंदी दिवस मनाया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 14.09.2023 को हिंदी दिवस मनाया गया जबकि 14 सितंबर 2023 से 29 सितंबर 2023 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें कर्मचारियों और उनके परिवारों ने सक्रिय भाग लिया। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान निगम के सभी कार्यालयों में हिंदी कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पखवाड़े के समापन दिवस पर प्रेस क्लब, कोलकाता में हिंदी संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निगम के दैनिक कामकाज में हिंदी के व्यापक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों के विजेताओं और प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अलावा, राजभाषा के रूप में हिंदी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं और मानदंडों के अनुसार बोर्ड को उनकी बैठकों में नियमित रूप से इसकी प्रगति के बारे में सूचित किया जा रहा है।

22. सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम

30.10.2023 से 05.11.2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने वर्ष 2023-24 के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के थीम के रूप में "भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" को अपनाया था। सप्ताह के दौरान निगम के कर्मचारियों द्वारा प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों में सत्यनिष्ठा की शपथ ली गई। प्रधान कार्यालय में एमडी, जेसीआई द्वारा शपथ दिलाई गई। कर्मचारियों द्वारा सीवीसी की वेबसाइट के माध्यम से ई-प्रतिज्ञा भी ली गई। ग्राम-सभा स्तर पर सतर्कता जागरूकता से संबंधित विभिन्न क्रिया-कलापें जैसे संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित की गईं; किसानों, ठेकेदारों, विक्रेताओं आदि के बीच सतर्कता के महत्व पर पर्चे/बैनर वितरित किए गए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर वॉकथॉन का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा, सतर्कता जागरूकता विषय पर निबंध लेखन, नारा लेखन, पोस्टर मेकिंग, ड्राइंग, वॉल पेंटिंग आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन स्कूल स्तर पर विभिन्न स्थानों पर किया गया, जहां निगम के क्षेत्रीय कार्यालय/क्रय केंद्र स्थित हैं। सतर्कता के लाभों को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया गया।

सतर्कता सप्ताह के अंतिम दिन श्री कृष्ण मोहन, सेवानिवृत आईएएस ने नैतिकता और गोवर्नेंस पर ऑनलाइन व्याख्यान दिया।

23. बोर्ड के निदेशकगण

निगम के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में सुश्री प्राजक्ता एल वर्मा, संयुक्त सचिव (फाइबर), वस्त्र मंत्रालय के नामांकन को 22.06.2023 को वापस ले लिया गया और उनके स्थान पर उसी तिथि को श्री पूर्णेश गुरुरानी, निदेशक (फाइबर), वस्त्र मंत्रालय को नामित किया गया।

एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्रम में श्री अमिताभ सिन्हा, निदेशक (वित्त) का थोड़ी बीमारी के उपरांत 27.02.2024 को निधन हो गया।

इसके अलावा, सुश्री प्राजक्ता एल वर्मा, संयुक्त सचिव (फाइबर), वस्त्र मंत्रालय को श्री गौरव कुमार, पूर्व आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय के स्थान पर 16.07.2024 को निगम के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया।

25. वार्षिक विवरण का सार

फार्म सं.एमजीटी-9

वार्षिक विवरण का सार

31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन)

नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I	पंजीकरण और अन्य ब्यौरा	
i)	सीआईएन	यू17232डब्ल्यूबी1971जीओआई027958
ii)	पंजीकरण तिथि	02/04/1971
iii)	कंपनी का नाम	भारतीय पटसन निगम लिमिटेड
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	शेयर/संघ सरकार कंपनी द्वारा कंपनी लिमिटेड
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क ब्यौरा	15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, 7वां तल, कोलकाता-700 087 दूरभाष: 033 2252 7027 / 7028 फैक्स: 91 33 2252 1771 / 7390
vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है हां/नहीं	नहीं
vii)	रेजिस्ट्रर और हस्तांतरण एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क ब्यौरा, यदि कुछ हो	लागू नहीं

II. कंपनी के प्रधान व्यापार के क्रिया-कलाप:

सभी व्यापार के क्रिया-कलाप जिसमें कंपनी के कुल कारोबार का 10% अथवा उससे अधिक का अंशदान कर रहा हो, को दर्शाया जाए:

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	जूट बीज, जूट और इससे संबंधित उत्पादों का व्यापार एवं विवरण		100 %

III. होल्डिंग, सहायक और सह कंपनियों का ब्यौरा

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/ जीएलएन	होल्डिंग/सहायक/सह	रखे गये शेयरों का %	लागू धारा
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

IV. शेयर होल्डिंग पेटर्न (कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग:

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	
ए. प्रोमोटर्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(1) भारतीय									
ए) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) केन्द्र सरकार	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य
सी) राज्य सरकार (रों)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) निकायों निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफ) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (ए)(1)	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य
(2) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए) एनआरआइज – व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) अन्य - व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) निकायों निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (ए)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रोमोटर का कुल शेयर होल्डिंग (ए)= (ए)(1)+(ए)(2)	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य
बी. सार्वजनिक शेयर होल्डिंग									
1. संस्थानों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए) म्यूचुअल फंड्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) केन्द्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) राज्य सरकार (रों)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) वेंचर पूंजी निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफ) बीमा कंपनियों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जी) एफआईआईज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एच) विदेशी वेंचर पूंजी निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आई) अन्यान्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (बी)(1)									
2. गैर संस्थानों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए) निकायों निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i व्यक्तिगत शेयरधारकगण जिनका नाममात्र शेयर पूंजी 1 लाख रु. तक है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ii व्यक्तिगत शेयरधारकगण जिनका नाममात्र शेयर पूंजी 1 लाख रु. से अधिक है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) अन्यान्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (बी)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक शेयर होल्डिंग (बी)= (बी)(1)+(बी)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी. संरक्षक द्वारा जीडीआर्स एवं एडीआर्स हेतु रखे गये शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग (ए+बी+सी)	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य

(ii) प्रोमोटरों का शेयर होल्डिंग

क्र.सं.	**शेयरधारक का नाम**	**वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर**			**वर्ष के अंत में रखे गये शेयर**			
		शेयरों की सं.	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**कुल शेयरों के गिरवी/ऋणग्रस्त शेयरों का %**	**शेयरों की सं.**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**कुल शेयरों के गिरवी/ऋणग्रस्त शेयरों का %**	**वर्ष के दौरान रखे गये शेयर में % परिवर्तन**
1.	भारत के राष्ट्रपति	500000	100	शून्य	500000	100	शून्य	शून्य
	कुल	**500000**	**100**	शून्य	**500000**	**100**	शून्य	शून्य

(iii) प्रोमोटरों के शेयर होल्डिंग में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया उल्लेख करें)

क्र.सं.		**वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर**		**वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर**	
		शेयरों की सं.	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की सं.**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
	वर्ष के प्रारंभ में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान प्रोमोटरों के शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(iv) शीर्ष के दस शेयरधारकों के शेयर होल्डिंग पेटर्न (निदेशकों, प्रोमोटरों और जीडीआर्स व एडीआर्स के धारकों के अलावा)

क्र.सं.	**भारत के राष्ट्रपति**	**वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर**		**वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर**	
		शेयरों की सं.	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की सं.**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
	वर्ष के प्रारंभ में	500000	100	500000	100

	बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/ हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि पर यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(v) निदेशकगण और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के शेयर होल्डिंग

प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि पर यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. कर्जदारी

ब्याज का बकाया/अर्जित सहित कंपनी की कर्जदारी परंतु भुगतान हेतु बकाया नहीं

(रू. लाख मे)

	जमा राशि को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा राशि	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी i) मूल राशि ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	2845.44	-	-	2845.44
कुल (i)+(ii)+(iii)	**2845.44**	**-**	**-**	**2845.44**
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में परिवर्तन ♦ बढ़ोतरी ♦ कटौती	10,035.92	-	-	10,035.92
शुद्ध परिवर्तन	**10,035.92**	**-**	**-**	**10,035.92**

वित्तीय वर्ष के अंत में कर्जदारी:				
i) मूल राशि	12881.36	-	-	12881.36
ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	-	-	-	-
कुल (i)+(ii)+(iii)	**12881.36**	**-**	**-**	**12881.36**

VI. निदेशकगण और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के पारिश्रमिक

निगम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज (सरकारी कंपनी) होने के नाते निदेशकगण दोनों कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी की नियुक्ति एवं कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का भुगतान भारत सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किया जाता है।

VII. अपराधों का दंड/सजा/समझौता

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त ब्यौरा	लगाये गये दंड/सजा/ समझौता फीस का ब्यौरा	प्राधिकारी (आरडी/ एनसीएलटी/कोर्ट)	अपील की गई, यदि कुछ हो (ब्यौरा दें)
ए. कंपनी					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी. निदेशकों					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी. चूक में अन्य अधिकारियों					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

25. उर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का उपार्जन व व्यय

जैसाकि सूचित गया है, निगम ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपायों को लागू करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह अपने सभी कार्यालयों में एलईडी लाइट का उपयोग करता है। इसके कई क्षेत्रीय कार्यालयों/आरएलडीज और डीपीसीज में सोलर लाइट प्रणाली का भी उपयोग किया जा रहा है।

निगम के सभी कार्यालयों में सभी विद्युत उपकरण कार्य समय के बाद अनिवार्य रूप से बंद कर दिए जाते हैं। आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विद्युत उपकरणों की ऊर्जा दक्षता को उनकी खरीद के समय अत्यधिक ध्यान में रखा जाता है। बिजली की खपत को कम करने के लिए समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। निगम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी "अनुशंसित इष्टतम तापमान सेटिंग के माध्यम से बिल्डिंग स्पेस कूलिंग में ऊर्जा संरक्षण" के संबंध में दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करता है।

26. सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, यथा संशोधित के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए मेसर्स जे.के.वी.एस, कोलकाता को निगम के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है।

निगम को लागत के रिकार्डों का रख-रखाव करने की आवश्यकता नहीं है जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उप धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

27. आभार प्रदर्शन

निदेशकगण भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विशेषकर वस्त्र मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, पटसन आयुक्त का कार्यालय एवं राष्ट्रीय पटसन बोर्ड को निगम के कार्यों में समय-समय पर उनके सहयोग एवं पथ-प्रदर्शन प्रदान करने के लिए आभार प्रकट करता है। वे कृषि लागत और मूल्य आयोग, राज्य सरकारों, कृषि और सहकारिता विभागों, राज्य के शीर्ष सहकारिता संगठनों, पटसन विकास निदेशालय से प्राप्त सहयोग के लिए भी अपना कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। निदेशकगण भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक लि. तथा अन्य बैंकों को उनके सहयोग और आवश्यक समर्थन देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निदेशकगण मेसर्स ए. गुहा एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, आंतरिक लेखापरीक्षक, जे.के.वी.एस. एंड कं., सनदी लेखाकार, सांविधिक लेखापरीक्षक, वाणिज्य लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक एवं कंपनी पंजीयक कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को उनके सहयोग एवं पथ-प्रदर्शन के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

अंत में, निदेशकगण निगम के स्टाफ, अधिकारियों एवं अन्य हितधारकों द्वारा दिये गये सहयोग हेतु अपना आभार प्रकट करते हैं।

.

कृते एवं बोर्ड के निदेशकगण की ओर से

(अजय कुमार जॉली)

प्रबंध निदेशक

तिथि : 13.12.2024

स्थान : कोलकाता

परिशिष्ट "ए"

वित्तीय परिणाम 2023-24

(रु. लाख में)

	अन्तर्देशीय कच्चा जूट		जूट बीज	विविध जूट उत्पाद	कुल
	मूल्य समर्थन	वाणिज्यिक			
आय					
विक्रय	55446.76	0.00	754.41	150.20	56351.37
ब्याज	169.84	0.00	0.00	0.00	169.84
सरकार से आर्थिक सहायता	2800.00	0.00	0.00	0.00	2800.00
अन्य जमा	349.33	0.00	31.37	0.00	380.70
अन्तर्देशीय कच्चा जूट में हस्तांतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अंतिम स्टॉक	25089.50	6497.90	285.30	58.76	31931.46
पूर्व अवधि का समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**83855.43**	**6497.90**	**1071.08**	**208.96**	**91633.37**
व्यय					
प्रारंभिक स्टॉक	8531.12	7277.99	334.94	33.88	16177.93
क्रय	59745.70	0.00	700.10	149.60	60595.40
व्यापारिक खर्चे	3969.06	0.00	0.65	0.00	3969.71
गोदाम भाड़ा एवं बीमा	368.31	25.57	1.12	0.23	395.23
अन्तर्देशीय कच्चा जूट से हस्तांतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्थायी खर्चे	3253.70	0.00	0.00	17.26	3270.96
पूर्व अवधि का समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**75867.89**	**7303.56**	**1036.81**	**200.97**	**84409.23**
अधिक्य(+)/कमी(-) ब्याज और मूल्यह्रास से पहले एक वर्ष का परिचालन	**7987.54**	**-805.66**	**34.27**	**7.98**	**7224.13**
ब्याज	830.98	0.00	0.00	0.00	830.98
मूल्यह्रास और परिशोधन	27.91	0.00	0.00	0.00	27.91
आयकर के लिए प्रावधान	1963.87	-221.95	9.44	2.20	1753.56
वर्ष के लिए लाभ(+)/हानि(-)	5164.78	-583.71	24.83	5.78	4611.68
प्रस्तावित लाभांश	0.00	0.00	0.00	0.00	1383.50
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के लिए शुद्ध अधिशेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.03.2023 तक आरक्षित एवं अधिशेष					**13869.83**
31.03.2024 तक आरक्षित एवं अधिशेष					**17763.01**

परिशिष्ट "बी'

53 वर्षों (1971-72 से 2023-24) के लाभ-हानि का सूक्ष्म-वीक्षण

(रु. करोड़ में)

		2023-24 तक संचयी	कुल व्यय रु.6349.52 के विभिन्न मदों की प्रतिशतता
I.	**आय**		
	विक्रय	4478.92	
	सरकार से आर्थिक सहायता (एमएसपी)	831.53	
	सरकार से आर्थिक सहायता (बीज)	14.93	
	पश्चिम बंगाल से विशेष आर्थिक सहायता (एमएसपी)	1.55	
	अन्य आय	301.82	
	अंतिम स्टॉक	319.31	
		5948.06	**94**
II.	**व्यय**(स्थायी खर्च एवं ब्याज को छोड़कर)		
	क्रय	3903.37	
	व्यापारिक एवं परिचालन खर्चे	387.75	
	भंडारण	104.77	
	बीमा	35.71	
	पूर्व अवधि तथा अन्य का समायोजन	16.20	
	आपवादिक मदें	24.74	
		4472.54	**70**
III.	स्थायी खर्च एवं ब्याज से पहले का अधिशेष (I-II)	1475.52	
IV.	बाद : स्थायी खर्च	1291.43	**20**
V.	ब्याज से पहले का अधिशेष/(कमी) (III-IV)	184.09	
VI.	योग : उधार पर ब्याज	(594.77)	**10**
		(410.68)	
VII.	आयकर (1973-74, 1976-77, 2004-05, 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2022-23 एवं 2023-24)	100.12	
	फ्रिंज लाभ कर (2005-06 से 2008-09 तक)	0.37	
	वितरण कर सहित सरकार को लाभांश (1971-72, 1973-74, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24)	33.53	
	हानि :	(544.70)	
VIII.	खाते में आर्थिक सहायता जमा (2002-03 तक)	555.20	
IX.	वित्तीय पुन:संरचना के परिणामस्वरूप बट्टे खाते में 2002-03 तक का संचित हानि	144.17	
X.	वित्तीय पुन:संरचना के परिणामस्वरूप पूंजीगत लाभ	22.96	
XI.	तुलन-पत्र में लाये गये वित्तीय वर्ष 2023-24 तक का लाभ (जमा अंक) (VIII+IX+X-VII)	177.63	

परिशिष्ट "सी"

सीएसआर के क्रिया-कलाप से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट

1	कंपनी के सीएसआर की नीति के संक्षिप्त रूपरेखा जिसमें अपनाये जानेवाली प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के परिदृश्य और सीएसआर की नीति व परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक के संदर्भ शामिल हैं।	भापनि एक लाभकारी संगठन होने के नाते उसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत सीएसआर के क्रिया-कलापें करना है। सीएसआर की समिति द्वारा संस्तुत सीएसआर नीति एवं 25.06.2019 को आयोजित बोर्ड की 252वीं बैठक में उनके द्वारा दिये गये अनुमोदन को ध्यान में रखते हुए निगम के सीएसआर क्रिया-कलापें की गई हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) द्वारा समय-समय पर परिचालित किए गए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार निगम सीएसआर के क्रिया-कलापों में शामिल होने के लिए भी बाध्य है। **निगम का सीएसआर नीति** भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (भापनि), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसई) का स्थापना भारत सरकार द्वारा किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य साधारणत: उगाए गए जूट के लिए समुचित मूल्य प्रदान करते हुए और विशेषकर मजबूरन बिक्री करने से बचाते हुए जूट कृषकों के हितों का रक्षा करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलाप करने के अतिरिक्त भापनि बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक क्रय व विक्रय भी करता है। तदनुसार, जूट कृषकगण जो सीमित आय के साथ बड़े पैमाने पर छोटे और मार्जिनल कृषक हैं, का कल्याण इस सीएसआर नीति का फोकस व मार्ग-दर्शक कारक हो सकता है। प्रबंधन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में सूचीबद्ध सीएसआर क्रिया-कलापों पर विगत तीन वर्षों के औसतन शुद्ध लाभ का 2(दो) प्रतिशत व्यय करने का प्रयत्न करेगा। किसी खास वर्ष में सीएसआर क्रिया-कलापों की पहचान एवं कार्यान्वित करते समय लोक उद्यम विभाग, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय (प्रशासनिक मंत्रालय) द्वारा जारी निदेशों, यदि कुछ हो, को ध्यान में रखा जाएगा। जूट कृषकों/बुनकरों को उनकी कमाई और आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए नए कौशल व प्रौद्योगिकी के साथ सशक्त बनाने और जूट कृषकों/बुनकरों के संतानों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चल रही स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को पूरा करने का प्रयास किये जाएंगे जिसमें जूट कृषकों/बुनकरों के लिए पीने का पानी, स्वच्छता एवं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल टीकाकरण आदि शामिल हैं। राशि जो वर्ष के अंत में अव्ययित रह सकती है उसे आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाया जाएगा। **वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बनाये गये योजनाओं एवं बजट का कार्यक्रम** 1. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सीपीएसईज द्वारा सीएसआर क्रिया-कलाप के लिए सामान्य विषय के रूप में **'स्वास्थ्य और पोषण'** को मंजूरी देते हुए "राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ सीपीएसईज के सीएसआर व्यय का संरेखण" के संबंध में डीपीई के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में मरीजों के कल्याण के लिए एक एसी एम्बुलेंस के लिए सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट को अंशदान। 2. केंद्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को "सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष" में अंशदान के लिए वित्तीय सहायता।

2	सीएसआर समिति का गठन	1. श्री गौरव कुमार, आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय – अध्यक्ष 2. श्री ए. के. जॉली, प्रबंध निदेशक – सदस्य 3. स्व· अमिताभ सिन्हा, निदेशक (वित्त) – सदस्य (27.02.2024 तक) 4. श्री पूर्णेश गुरुरानी, निदेशक (फाइबर), वस्त्र मंत्रालय – सदस्य
3	विगत तीन वित्तीय वर्षों (2020-21, 2021-22 एवं 2022-23) के लिए कंपनी का कर से पहले औसतन शुद्ध लाभ	रु.4,69,33,000/-
4	निर्धारित सीएसआर पर खर्च (उपरोक्त 3 में दी गई राशि का दो प्रतिशत)	रु.9,39,000/-
5	वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा 1) वित्तीय वर्ष हेतु खर्च की जाने वाली कुल राशि	रु.9,39,000/-
	2) अव्ययित राशि, यदि कुछ हो	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर बजट से रु.2.00 लाख वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर बजट से रु.1.41 लाख 2024-25 के सीएसआर बजट के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान खर्च की जाएगी।
	वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का ब्यौरा	खर्च की गई राशि का ब्यौरा नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका – 2023-24 के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि का ब्यौरा

क्र. सं.	सीएसआर की परियोजना	सेक्टर	परियोजना राज्य/जिला	राशि (रु. में)
I	मरीजों के कल्याण के लिए एक एसी एम्बुलेंस के लिए सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट को अंशदान।	स्वास्थ्य	पश्चिम बंगाल	7,50,000/-
II	केंद्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को "सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष" में अंशदान।	सशस्त्र सेना के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के हित के लिए उपाय	पूरे भारत	2,00,000/-
	कुल			**9,50,000/-**
III	सीएसआर समिति से विवरण	सीएसआर समिति ने पुष्टि की है कि पैरा-1 में दी गई सीएसआर के क्रिया-कलापों की रूपरेखा के अनुरूप सीएसआर से संबंधित खर्च की गई है।		

पांच वर्षों की रूपरेखा

(रु. लाख में)

क्र. सं.	ब्यौरा	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
ए	**परिचालन के आंकड़े**					
	कुल कारोबार	12786.83	11577.60	3130.24	11331.73	56351.37
	अन्य आय	4820.68	3920.26	3479.73	3866.79	3350.54
	खर्च	15478.48	13898.41	5514.18	14010.92	53336.67
	पूर्व अवधि का समायोजन (शुद्ध)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	आपवादिक मदें	0.00	0.00	-2474.00	0.00	0.00
	कर से पहले लाभ (पीबीटी)	2129.03	1599.44	-1378.21	1187.60	6365.24
	कर	589.48	384.21	0.00	187.00	1753.56
	आस्थगित कर खर्चे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कर के उपरांत लाभ (पीएटी)	1539.55	1215.23	-1378.21	1000.60	4611.68
	लाभांश वितरण कर सहित भुगतान की गई लाभांश	419.53	462.00	776.18	0.00	718.50
	सामान्य रिजर्व में राशि हस्तांतरण	1120.02	753.23	-2154.39	1000.60	3893.18
बी	**वित्तीय स्थिति**					
	नियोजित पूंजी	14770.39	15523.62	13369.23	14369.83	18263.01
	अप्रचलित परिसंपत्तियां	396.70	330.26	287.91	293.04	339.15
	प्रचलित परिसंपत्तियां	21290.29	22910.69	20321.39	24170.16	44084.36
	इक्विटी एवं देयताएं:					
	i) शेयर पूंजी	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	ii) आरक्षित एवं अधिशेष	14270.39	15023.62	12869.23	13869.83	17763.01
	अप्रचलित देयताएं	3988.10	4008.68	3550.06	3699.65	3718.59
	प्रचलित देयताएं	2928.51	3708.65	3690.01	6393.72	22441.91
सी	**अनुपात**					
	पीबीटी/कुल कारोबार	0.17	0.14	-0.44	0.10	0.11
	पीएटी/कुल कारोबार	0.12	0.10	-0.44	0.09	0.08
	पीबीटी/नियोजित पूंजी	0.14	0.10	-0.10	0.08	0.35
	पीएटी/कुल मूल्य	0.10	0.08	-0.10	0.07	0.25
	कुल कारोबार/कुल मूल्य (कितनी बार)	0.87	0.75	0.23	0.79	3.09
	प्राप्ति योग्य व्यापार/कुल कारोबार (%)	13.71	6.70	3.41	13.44	5.24

कार्पोरेट गोवर्नेंस प्रमाण-पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड,
15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी,
कोलकाता-700 087

सेवा में,
बोर्ड के निदेशक,
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड,
15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी,
कोलकाता-700 087

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (सीआईएन:यू17232डब्ल्यूबी1971जीओआई027958) ("कंपनी") द्वारा किये गये कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्त्तों का अनुपालन की जांच की जैसाकि केंद्रीय लोक सेक्टर उद्यम (सीपीएसईज) के लिए लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं.18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 द्वारा जारी कार्पोरेट गोवर्नेंस से संबंधित मार्ग-दर्शन ("मार्ग-दर्शन") में निर्धारित किया गया है।

कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्त्तों का अनुपालन करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। इस दायित्व में आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन व रख-रखाव और कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। हमारा उसकी प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जांच की दायरा सीमित है जिसे कंपनी द्वारा कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है जैसाकि मार्ग-दर्शन में निर्धारित है। यह न तो लेखापरीक्षा है न ही कंपनी के वित्तीय विवरणियों पर विचार प्रकट करना है।

हमारी राय से और जहां तक जानकारी है एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई व्याख्या के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्त्तों का अनुपालन किया है जैसाकि उपरोक्त मार्ग-दर्शन में निर्धारित किया गया है।

हम पुन: जानकारी देते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य में व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन है न ही इसका दक्षता या प्रभाव है जिससे प्रबंधन कंपनी के कार्य का संचालन किया है।

आर.एन. पाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
फर्म यूनिक कोड नं.आई2011डब्ल्यूबी805400

सीएस रूद्र नारायण पाल
सदस्यता सं.एफ8494
सीओपी नं.9772
यूडीआईएन:एफ008494एफ003702393

स्थान : कोलकाता
तिथि : 16.01.2025

इस रिपोर्ट को हमारे उस तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न है और "परिशिष्ट ए" के रूप में चिह्नित है और इस प्रमाण-पत्र का एक अभिन्न अंग है।

कार्पोरेट गोवर्नेंस प्रमाण-पत्र

कार्पोरेट गोवर्नेंस प्रमाण-पत्र का परिशिष्ट 'ए'

सेवा में,
सदस्यगण,
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड,
15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी,
कोलकाता-700 087

सेवा में,
बोर्ड के निदेशक,
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड,
15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी,
कोलकाता-700 087

उस तिथि के हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमाण-पत्र को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

1. रिकार्ड का रखरखाव करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन रिकार्डों पर हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना है।

2. हमने रिकार्डों के अंतर्वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित लेखापरीक्षा के प्रथाओं और प्रक्रिया का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सही तथ्य परिलक्षित हों, सत्यापन जांच के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और प्रथाएँ हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. कानूनों, अधिनियमों, नियमों, विनियमों और मानकों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षण जांच के आधार पर रिकार्डों के सत्यापन तक सीमित थी।

आर.एन. पाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
फर्म यूनिक कोड नं.आई2011डब्ल्यूबी805400

सीएस रूद्र नारायण पाल
सदस्यता सं.एफ8494
सीओपी नं.9772
यूडीआईएन:एफ008494एफ003702393

स्थान : कोलकाता
तिथि : 16.01.2025

क्षेत्रीय कार्यालय
31.03.2024 को

राज्य	प्र.का./क्षे.का./आरएलडी	डीपीसीज/एससीज की संख्या	राज्यवार कुल डीपीसीज/एससीज
पश्चिम बंगाल	कोलकाता आरएलडी	12	69
	सिलीगुड़ी क्षे.का.	6	
	कूचबिहार क्षे.का.	6	
	तुलसीहाटा आरएलडी	9	
	कृष्णनगर क्षे.का.	13	
	बरह्मपुर क्षे.का.	12	
	बेथुवाडहरी आरएलडी	11	
असम	गुवाहाटी क्षे.का.	7	19
	गौरीपुर आरएलडी	5	
	नगांव क्षेत्रीय कार्यालय	7	
बिहार	फारबिसगंज आरएलडी	12	12
ओडिशा	भद्रक आरएलडी	6	6
आंध्रप्रदेश	पार्वतीपुरम् आरएलडी	2	2
त्रिपुरा	अगरताला क्षे.का.	2	2
कुल		**110**	**110**

स्वतंत्र लेखापरीक्षक का रिपोर्ट

सदस्यगण,

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा से संबंधित रिपोर्ट

राय

हमने **भारतीय पटसन निगम लिमिटेड** (“कंपनी”) के वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा किया जिसमें 31 मार्च, 2024 तक के तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण और 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 अवधि का नकद प्रवाह विवरण और वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियां और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसके उपरांत “वित्तीय विवरणियों” के रूप में दर्शाया गया है) शामिल हैं।

हमारी राय में और जहां तक हमें जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरणियां कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी अपेक्षित तरीके से देती हैं और भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखाकरण सिद्धांत के अनुरूप 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के कार्य विवरण और उसके लाभ, 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 अवधि के लिए उसके नकदी प्रवाह विवरण सही और स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करती हैं।

राय हेतु आधार

हमने इस अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों (एसएज) के अनुसार वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा संचालित की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को हमारे रिपोर्ट के "वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी" में आगे वर्णित किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ-साथ इस अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई के नैतिक संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

कंपनी के बोर्ड के निदेशकगण अन्य सूचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचना में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल सूचना सम्मिलित है परंतु इसमें वित्तीय विवरणियां और उसपर लेखापरीक्षक के रिपोर्ट शामिल नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन के निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने में इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है। यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना के भौतिक गलत विवरण है तो हमें उस तथ्य का रिपोर्ट करना अपेक्षित है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन एवं बोर्ड के निदेशकगण का दायित्व

कंपनी के बोर्ड के निदेशकगण इस वित्तीय विवरणियों की तैयारी करने के संबंध में इस अधिनियम की धारा 134(5) में दर्शाये गये विषय-वस्तु के लिए जिम्मेदार हैं जो साधारणत: भारत में स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह का सही व स्व्च्छ तस्वीर प्रस्तुत करता है। इस जवाबदेही में यह भी शामिल है कि कंपनी के परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और जालसाजी को रोकने व पता लगाने एवं अन्य अनियमितताओं के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्डों का रख-रखाव, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन व प्रयोज्य, निर्णय व आकलन करना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन व रख-रखाव जो लेखाकरण रिकार्डों की परिशुद्धता व संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, वित्तीय विवरणियों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित सही एवं स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करता है और गलत विवरण दस्तावेज जो जालसाजी अथवा गलती से मुक्त है।

वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में प्रबंधन को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में जारी रखने, प्रकटन करने जैसाकि लागू है, लाभप्रद व्यवसाय से संबंधित मामले एवं लेखाकरण का लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर उपयोग करने के लिए कंपनी की क्षमता का आकलन करने की जिम्मेदारी है जबतक कि प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने या संचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरणियां गलत विवरण से मुक्त हैं चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद किसी सामग्री के गलत विवरण का पता लगाएगा। गलत विवरणियां धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और वह सामग्री माना जाता है यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर उन्हें इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित को भी:

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के आधार को

साबित करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के फलस्वरूप एक से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो ऐसी परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखाकरण के सक्रिय और लाभप्रद के रूप में और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की सक्रियता और लाभप्रद के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपनी राय को संशोधित करें। चालू व्यवसाय की उपयुक्तता के संबंध में हमारी रिपोर्टिंग के संबंध में कृपया ऊपर दिए गए पैराग्राफ "लाभप्रद व्यवसाय से संबंधित भौतिक अनिश्चितता" का संदर्भ लें। हमारा निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक के रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। हालांकि भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी का सक्रिय और लाभप्रद के रूप में जारी रहना बंद हो सकता है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और अंतर्वस्तु का मूल्यांकन करें और क्या वित्तीय विवरणियां अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता वित्तीय विवरणियों में गलत विवरण का परिमाण है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित ज्ञान वाले उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के संबंध में गोवर्नेंस के प्रभारीगण के साथ संवाद करते हैं जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान चिह्नित करते हैं।

हम उन प्रभारीगण को भी विवरण प्रदान करते हैं जिन पर गोवर्नेंस प्रभार है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उनके साथ सभी संबंध और अन्य मामलों का संवाद करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से माना जा सकता है और जहां सुरक्षा उपाय से संबंधित लागू हो।

गोवर्नेंस के प्रभारीगण के साथ संप्रेषित मामलों से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो 31 मार्च, 2024 को समाप्त विततीय वर्ष के वित्तीय विवरणियों के लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और मुख्य लेखापरीक्षा के मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षक के रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारे रिपोर्ट में मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक की उचित रूप से अपेक्षा की जाएगी।

अन्य मामले

इन वित्तीय विवरणों में शामिल 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय सूचना पहले जारी किए गए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है, जिनका लेखापरीक्षा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षक द्वारा किया गया था, जिसकी 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के रिपोर्ट दिनांक 30 सितंबर, 2023 में उन वित्तीय विवरणों पर अपरिवर्तित राय व्यक्त की गई थी। इसके अलावा, कंपनी की तुलनात्मक वित्तीय सूचना को प्रबंधन द्वारा फिर से समूहीकृत किया गया है जो हमारे द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन नहीं है।

इसके अलावा, हम उपयोगकर्ताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा उपरोक्त परिस्थितियों में किया गया है। हमने अपने रिपोर्ट में सूचित किए जाने के लिए नीचे वर्णित अन्य मामलों को निर्धारित किया है:

1. वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.4 एवं 29 में शामिल है कि वर्ष के दौरान परियोजनाओं से संबंधित अल्पावधि जमा पर अर्जित ब्याज की राशि रु.1,19,99,465/- को संबंधित परियोजना निधि में जमा किया गया है। हालांकि आयकर में ब्याज आय की पेशकश की गई है और तदनुसार कंपनी द्वारा ऐसे ब्याज पर टीडीएस का दावा किया गया है।
2. वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.36 दर्शा रहा है कि अन्य पार्टियों जिन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान साफ्टवेयर की त्रुटि के कारण अधिक/गलत भुगतान हो गया था, से प्राप्ति योग्य राशि रु.2.34/- लाख में से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रु.0.33 लाख की वसूली हो चुकी है।
3. हमने अचल परिसंपत्तियों के क्षेत्र में देखा है कि अचल परिसंपत्ति के रजिस्टर हालांकि विगत कुछ वर्षों से कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध है लेकिन उससे पहले की अवधि के लिए अचल परिसंपत्ति के रजिस्टर का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं गया है एवं कम्प्यूटरीकृत तरीके से अचल परिसंपत्ति के रजिस्टर का उन्नयन और रखरखाव का कार्य किया जाना अभी बाकी है लेकिन कार्य प्रक्रिया में है।

इस धारा के अंतर्गत उल्लिखित मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसाकि इस अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों से संबंधित विवरण **"संलग्नक ए"** में दिए हैं।

2. जैसाकि इस अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत अपेक्षित है, पूर्वोक्त हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी अतिरिक्त निर्देशों सहित निर्देशों से संबंधित रिपोर्ट, उन पर की गई कार्रवाई तथा कंपनी के लेखा और वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव को **"संलग्नक बी"** में दिए हैं।

3. जैसाकि इस अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(ए) हमने हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारे जानकारी व विश्वास से आवश्यक थे;

(बी) हमारी राय से लेखा के समुचित बही-खाते को जैसाकि विधि द्वारा अपेक्षित है उसे कंपनी द्वारा रखा गया है जहां तक उन बही-खाते की हमारी जांच से प्रकट होता है;

(सी) इस रिपोर्ट में दर्शाये गये तुलन-पत्र और लाभ-हानि विवरण लेखा के बही-खाते से मेल खाते हैं;

(डी) हमारी राय से और जहां तक हमें जानकारी है तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरण संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं;

(ई) अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार सरकारी कंपनियों को इस अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधानों से छूट दी गई है, तदनुसार, हमें यह रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या कंपनी का कोई निदेशक उक्त धारा में निहित प्रावधानों के अनुसार अयोग्य है;

(एफ) इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की वित्तीय विवरण देने से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के परिचालन की प्रभावपूर्णता के संदर्भ में हमारा पृथक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **"संलग्नक-बी"** में देखें।

(जी) इस अधिनियम की धारा 197(16), यथा संशोधित, की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हम रिपोर्ट करते हैं कि: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार निदेशकों को पारिश्रमिक के संबंध में इस अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है; और इसलिए हमें यह रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को दिया गया पारिश्रमिक इस अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है या नहीं;

(एच) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2016 का नियम 11, यथा संशोधित, के अनुसार लेखापरीक्षक के रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में हमारी राय से व जहां तक जानकारी है एवं हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार :

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के कारण अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाया है। कृपया टिप्पणी संख्या 26 देखें;

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिससे कोई भी सामग्री की पूर्वानुमान योग्य हानि हुआ हो।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी।

iv. (ए) प्रबंधन ने हमें बताया है कि उसके जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) में जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगा;

(बी) प्रबंधन ने हमें बताया है कि उसके जानकारी और विश्वास के अनुसार कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) से जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्तपोषण पक्ष") शामिल हैं, कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस सहमति के साथ चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगी; तथा

(सी) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें इस परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना जाता है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के अंतर्गत किए गए अभ्यावेदन, जैसा कि पैराग्राफ 3(एच) (iv) (ए) और (बी) के अंतर्गत प्रदान किया गया है, में कोई भी गलत बयान शामिल है।

v. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित या भुगतान किया गया लाभांश इस अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है, जहां तक यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है;

vi. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान के संबंध में कंपनी ने अपने लेखा बही के रखरखाव के लिए ऐसे लेखाकरण सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की एक अतिरिक्त सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेन-देन के लिए इसे संचालित किया गया है, लेकिन ऐसी अतिरिक्त सुविधा की सीमाओं के कारण हम किए गए परिवर्तनों को सत्यापित करने में असमर्थ थे और इसलिए हम ऑडिट ट्रेल सुविधा से जुड़े मामलों पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए लागू नहीं है।

वास्ते जे.के.वी.एस. एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 318086ई

(उत्सव सराफ)
साझेदार
सदस्यता सं.306932
यूडीआईएन:24306932बीकेएफसीएमएक्स9968

स्थान : कोलकाता
तिथि : 28.10.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रिपोर्ट का संलग्नक-ए

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के सदस्यों को आज की तारीख तक भेजी गई हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में उल्लेख किया गया है।

हमारे द्वारा मांगी गई सूचना और कंपनी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण तथा सामान्य लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा जांच की गई लेखा बही एवं रिकार्डों के आधार पर तथा जहां तक हमें जानकारी और विश्वास है, हम जानकारी देते हैं कि:

i. कंपनी की अचल परिसंपत्तियों के संबंध में:

(ए) कंपनी ने संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्डों का रख-रखाव किया है जिसमें मात्रात्मक विवरण और परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की स्थिति शामिल है।

कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, कंपनी के संचालन के आकार को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की आवृत्ति उचित है और प्राप्त स्पष्टीकरणों के आधार पर सत्यापन के दौरान कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई।

सी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी के पास कोई अचल परिसंपत्ति नहीं है और इसलिए इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(डी) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण या अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ई) जैसाकि टिप्पणी संख्या 40.5 में दर्शाया गया है तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई बेनामी परिसंपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii. (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा सत्यापन की आवृत्ति उचित है और इस तरह के सत्यापन के लिए कवरेज और प्रक्रिया उचित है। भौतिक स्टॉक और बही रिकॉर्ड के बीच सत्यापन पर कोई भी भौतिक विसंगति नहीं देखी गई जो वस्तुसूची के प्रत्येक वर्ग के कुल योग में 10% से अधिक थी।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर कंपनी को वर्ष के दौरान बैंकों और/या वित्तीय संस्थानों से कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यकारी पूंजी सीमा मंजूर की गई है। कंपनी तिमाही आधार पर वस्तुसूची के मूल्यांकन का रिकॉर्ड नहीं रखती है; इसके बजाय,

यह वर्ष के अंत में वस्तुसूची रिकॉर्ड रखती है। मार्च 2024 के लिए कंपनी द्वारा दाखिल तिमाही विवरण लेखा बही के साथ भौतिक रूप से मेल खाते हैं।

iii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित। तदनुसार, इस आदे श के खंड (iii) (ए) से (एफ) के अंतर्गत रिपोर्ट कंपनी पर लागू नहीं होती है।

iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया है, कोई सुरक्षा और गारंटी प्रदान नहीं की है या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, चाहे वह सुरक्षित हो या असुरक्षित, जिसके संबंध में धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हों और तदनुसार इस आदेश के खंड 3 (iv) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने न तो जनता से कोई जमा स्वीकार किया है और न ही ऐसी कोई राशि स्वीकार की है जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अर्थ में जमा माना जाता है। तदनुसार, इस आदेश के खंड 3(v) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

vi. केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत कंपनी के लिए लागत रिकॉर्ड बनाए रखने का प्रावधान नहीं किया है। तदनुसार, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

vii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार संवैधानिक बकाया के संबंध में:

(ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा लेखा बही की जांच के आधार पर कंपनी आमतौर पर उचित प्राधिकारियों के पास भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु और सेवा कर, उपकर और अन्य संवैधानिक बकाया सहित निर्विवाद संवैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांच की गई कंपनी के अभिलेखों के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु और सेवा कर, उपकर और अन्य भौतिक संवैधानिक बकाया के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि 31 मार्च, 2024 तक उनके देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी, सिवाय इसके:

संविधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि	अवधि जिससे राशि संबंधित है	नियत तिथि	भुगतान की तिथि
ईपीएफओ	पेंशन	21,06,012	30 सितंबर, 2023 तक विभिन्न तिथियाँ	प्रत्येक पूर्ववर्ती माह की 15 तारीख	अब तक भुगतान नहीं
जेसीआई के अंशदायी भविष्य निधि	भविष्य निधि	51,112	30 सितंबर, 2023 तक विभिन्न तिथियाँ	प्रत्येक पूर्ववर्ती माह की 15 तारीख	अब तक भुगतान नहीं
ईएसआईसी	ईएसआई	14,717	30 सितंबर, 2023 तक विभिन्न तिथियाँ	प्रत्येक पूर्ववर्ती माह की 15 तारीख	अब तक भुगतान नहीं

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी पर बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और मूल्य वर्धित कर का कोई बकाया नहीं है, जिसे नीचे उल्लिखित को छोड़कर किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है:

संविधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम 1961	आयकर की मांग	1504.94 लाख	निर्धारण वर्ष 2007-08 से 2013-14 तक	आयकर आयुक्त अपील

* विरोध के अंतर्गत भुगतान की गई शुद्ध राशि या रिफंड के साथ समायोजित

viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांच की गई कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में किसी भी लेन-देन को समर्पित या प्रकट नहीं किया है, जो विगत लेखा बही में दर्ज नहीं किया गया था। तदनुसार, इस आदेश के खंड 3(viii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

ix. (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांच की गई बही और अभिलेखों के अनुसार हमारी राय में, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण और अन्य उधारों को चुकाने या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन से प्राप्त अभ्यावेदन सहित हमारे द्वारा जांच की गई कंपनी के अभिलेखों के अनुसार कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर ऋण न चुकाने वाला घोषित नहीं किया गया है।

(सी) चूंकि कंपनी के पास वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं था, इसलिए पैराग्राफ 3(ix)(सी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(डी) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि अल्पावधि आधार पर जुटाई गई किसी भी धनराशि का उपयोग कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

(ई) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, इस आदेश के खंड 3(ix) (ई) और (एफ) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

x. (ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव/अगली सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) और सावधि ऋण के माध्यम

से कोई धन नहीं जुटाया है। इसलिए, इस आदेश के खंड 3(x)(ए) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(बी) वर्ष के दौरान कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट के अंतर्गत इक्विटी शेयर जारी करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 और 42 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। जुटाई गई धनराशि का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया है जिनके लिए धनराशि जुटाई गई थी। वर्ष के दौरान कंपनी ने पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किए हैं।

xi. (ए) कंपनी की बही और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, जो भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा प्रथाओं के अनुसार की गई और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

(बी) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक केन्द्रीय सरकार के पास कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

(सी) जैसाकि प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii. हमारी राय में कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, इस आदेश के खंड (xii)(ए) से (सी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xiii. 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) के अनुसार सरकारी कंपनियों को सरकारी कंपनियों के बीच किए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं के संबंध में इस अधिनियम की धारा 188 के प्रावधानों से छूट दी गई है। हमारी राय में, कंपनी संबंधित पार्टियों के साथ लागू लेन-देन के संबंध में इस अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन कर रही है और संबंधित पार्टियों के लेन-देन का विवरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसाकि लागू लेखाकरण मानकों द्वारा अपेक्षित है।

xiv. (ए) हमारी राय से और हमारी जांच के आधार पर कंपनी के पास एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जो उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

(बी) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए वर्ष के दौरान और आज तक कंपनी को जारी लेखापरीक्षा के अंतर्गत इस वर्ष के आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेन-देन नहीं किया है जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 में दर्शाया गया है।

xvi. (ए) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आईए का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, इस आदेश के खंड 3(xvi) (ए) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(बी) हमारी राय से तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार उसे भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(सी) कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, इस आदेश के खंड 3(xvi)(सी) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

(डी) लेखापरीक्षा के दौरान हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार ग्रुप के अंदर कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है (जैसाकि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) और तदनुसार इस आदेश के खंड 3(xvi) (डी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xvii. हमारी राय से तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष तथा तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है।

xviii. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है और तदनुसार इस आदेश के खंड 3(xviii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं है।

xix. वित्तीय अनुपातों, आयु और वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति तथा वित्तीय दायित्वों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं, बोर्ड के निदेशकगण और प्रबंधन के योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान तथा मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि को कोई भी भौतिक अनिश्चितता विद्यमान है, जो यह दर्शाती हो कि कंपनी अपने दायित्वों को, जो कि तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंदर देय हैं, पूरा करने में सक्षम नहीं है।

हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंदर आने वाली सभी देयताओं को कंपनी द्वारा समय पर चुका दिया जाएगा।

xx. कंपनी ने सीएसआर मानदंडों के अनुसार चालू वर्ष के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए 9.5 लाख रुपये की अपेक्षित राशि पूरी तरह से खर्च कर दी है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के संबंध में 1 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित 2 लाख रुपये की अव्ययित सीएसआर राशि है, जिसे कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि या उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में विशेष खाते में हस्तांतरित करने की आवश्यकता है, इसे वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक खर्च नहीं किया जा सका क्योंकि संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के उत्पादन में कौशल विकास हेतु परियोजनाओं को लागू करने के लिए चुने गए दोनों संगठन अपने अंतिम लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके।

इसलिए निगम को दोनों संगठनों में से प्रत्येक की 1.00 लाख रुपये की अंतिम किस्त रोकने के लिए बाध्य होना पड़ा। निगम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए परियोजनाओं की परिकल्पना की थी, लेकिन कोविड-19 के अचानक प्रकोप के कारण संगठनों का चयन और उसके उपरांत कार्य आदेश जारी वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ही किया जा सका। इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अंतर्गत आने वाले निधि में हस्तांतरित किया जाएगा।

वास्ते जे.के.वी.एस. एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 318086ई

(उत्सव सराफ)

साझेदार

सदस्यता सं.306932

यूडीआईएन:24306932बीकेएफसीएमएक्स9968

स्थान : कोलकाता

तिथि : 28.10.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रिपोर्ट का "संलग्नक-बी"

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के शर्त्तानुसार **भारतीय पटसन निगम लिमिटेड** ('कंपनी') के सदस्यों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हमारे रिपोर्ट में दर्शाये गये संलग्नक।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सामान्य दिशा-निर्देश

क्र. सं.	दिशा-निर्देश	लेखापरीक्षक की टिप्पणियां
1.	क्या कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखाकरण के लेन-देन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के साथ लेखों की सत्यनिष्ठा पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर लेखाकरण लेन-देन की प्रक्रिया के प्रभाव यदि कोई हो, को दर्शाया जाए।	कंपनी आईटी सिस्टम-टैली ईआरपी 9 पर अपने लेखा बही का रखरखाव करती है। सभी लेखाकरण की लेन-देन टैली ईआरपी 9 के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं। हमने ऐसा कोई लेन-देन नहीं देखा जो टैली ईआरपी 9 के बाहर संसाधित किया गया हो।
2.	क्या ऋण की अदायगी में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन की जा रही है या कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के छूट/बट्टे खाते का कोई मामला है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव दर्शाया जाए।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर ऋण की अदायगी में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन नहीं की गई थी या कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के छूट/बट्टे खाते का कोई मामला नहीं था।
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्ति योग्य निधियों को इसके निबंधन और शर्तें के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग किये गये थे? व्यतिक्रम के मामलों की सूची।	कंपनी को कच्चे जूट के एमएसपी के लिए अपने बुनियादी ढांचे को बनाए रखने एवं जूट प्रौद्यागिकी के उन्नयन के लिए अनुदान/सब्सिडी प्राप्त हुई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की बहियों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर निधि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिस उद्देश्य से दिया गया था। हमें कोई व्यतिक्रम नहीं मिला है। जूट प्रौद्योगिकी और जूट आई-केयर के उन्नयन से संबंधित परियोजना का लेखा-परीक्षण सनदी लेखाकार की अलग-अलग फर्मों द्वारा किया जाता है।

वास्ते जे.के.वी.एस. एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 318086ई

(उत्सव सराफ)
साझेदार
सदस्यता सं.306932
यूडीआईएन:24306932बीकेएफसीएमएक्स9968

स्थान : कोलकाता
तिथि : 28.10.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रिपोर्ट का "संलग्नक-सी"

(भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के सदस्यों को आज की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 2 (एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (I) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 तक का हमने भारतीय पटसन निगम लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखापरीक्षा किया है जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणियों का हमारे लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में है।

वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्ग-दर्शन की टिप्पणी में दर्शाये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी के प्रबंधन को कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित व रख-रखाव करने का दायित्व है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रख-रखाव शामिल है जो इसके व्यापार को सुव्यवस्थित रूप से एवं दक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी रूप से परिचालन हो रहे थे जिसमें कंपनी के नीतियों का अवलंबन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखा-धड़ी व त्रुटियां रोकना एवं पता लगाना, लेखाकरण के रिकार्डों की शुद्धता व संपूर्णता एवं विश्वासनीय वित्तीय सूचना को सही समय से तैयार करना शामिल है जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है।

लेखापरीक्षकों की जवाबदेही

हमारी जवाबदेही है कि अपने लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित विचार प्रकट करना। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्ग-दर्शन की टिप्पणी ("मार्ग-दर्शन की टिप्पणी") एवं लेखाकरण संबंधी मानकों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित समझा गया के अनुसार अपने लेखापरीक्षा का संचालन किया है, जहां तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा पर लागू है, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर लागू है और दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है। उन मानकों एवं मार्ग-दर्शन की टिप्पणी की मांग है कि हम क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व रख-रखाव किया गया है, से संबंधित उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा के नैतिक आवश्यकताओं, प्लान एवं कार्य-निष्पादन का अनुपालन करें और ऐसी नियंत्रण सभी संदर्भों में प्रभावकारी रूप से परिचालित हुई है।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों एवं उसके परिचालन के प्रभावपूर्णता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता से संबंधित लेखापरीक्षा का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य-निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ताल-मेल प्राप्त करना, जोखिम आंकना जो भौतिक कमजोरी विद्यमान है, डिजाइन का जांच व मूल्यांकन करना एवं मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के प्रभावपूर्णता का परिचालन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है जिसमें वित्तीय विवरणों के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है चाहे वह धोखा-धड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा का साक्ष्य वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर लेखापरीक्षा की राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वासनीयता एवं साधारणत: स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरणियों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाई गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण में कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन, नियंत्रणों का अधिभावी, त्रुटि अथवा धोखा-धड़ी की वजह से गलत विवरणों की संभावना शामिल करते हुए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंतर्निहित सीमाओं के कारण घटित हो सकता है और पता नहीं लगा हो। भविष्य में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का प्रक्षेपण जोखिम के अधीन है जिससे परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा जिससे नीतियों या प्रक्रियाओं का अनुपालन बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय से, हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर किया गया था।

वास्ते जे.के.वी.एस. एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 318086ई

(उत्सव सराफ)
साझेदार
सदस्यता सं.306932
यूडीआईएन:24306932बीकेएफसीएमएक्स9968

स्थान : कोलकाता
तिथि : 28.10.2024

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निगम पर सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा किए गए अन्य मामलों पर प्रबंधन का उत्तर

क्र. सं.	लेखापरीक्षा का मंतव्य	प्रबंधन का उत्तर
अन्य मामले		
1.	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.4 एवं 29 में शामिल है कि वर्ष के दौरान परियोजनाओं से संबंधित अल्पावधि जमा पर अर्जित ब्याज की राशि रु.1,19,99,465/- को संबंधित परियोजना निधि में जमा किया गया है। हालांकि आयकर में ब्याज आय की पेशकश की गई है और तदनुसार कंपनी द्वारा ऐसे ब्याज पर टीडीएस का दावा किया गया है।	भापनि इन परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी है, इसलिए भापनि ऐसी आवधिक जमा राशि पर अर्जित ब्याज से सृजित आय का दावा नहीं कर रहा है। चूंकि ये आवधिक जमा राशि भापनि के नाम से हैं और बैंकों द्वारा भापनि के पैन के विरूद्ध टीडीएस की कटौती की जा रही है इसलिए भापनि के खातों एवं संबंधित परियोजनाओं के खातों के बीच आवश्यक आयकर लेखांकन प्रविष्टियां पास हुई हैं। इसे पहले ही वार्षिक लेखा की टिप्पणियों के अंतर्गत दर्शाया जा चुका है।
2.	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.36 दर्शा रहा है कि अन्य पार्टियों जिन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान साफ्टवेयर की त्रुटि के कारण अधिक/गलत भुगतान हो गया था, से प्राप्ति योग्य राशि रु.2.34 लाख में से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रु.0.33 लाख की वसूली हो चुकी है।	निगम ने एमएसपी के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीद के विरूद्ध ऑनलाइन (एनईएफटी/आरटीजीएस) के माध्यम से सीधे जूट कृषकों को भुगतान का संवितरण करने की पहल की थी। इस प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर अपनाया गया था और जूट कृषकों को भुगतान करने के लिए खरीद इनपुट डेटा भी संसाधित किया गया था। हालांकि, एक अनपेक्षित त्रुटि के कारण जो सामान्य जोखिमों से परे थी जिसे कंप्यूटरीकरण करते समय नहीं देखा जा सकता था, ऑनलाइन भुगतान के निष्पादन की प्रारंभिक अवधि के दौरान अज्ञात लाभार्थियों को रु.1.45 करोड़ की राशि हस्तांतरित हो गई थी। प्रबंधन ने तुरंत हमारे बैंकरों के पास यह मामला उठाया एवं राशि जो गलत लाभार्थियों को चला गया था, की वसूली करने में सतत् प्रयास किए। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2022-23 के दौरान रु.141.22 लाख की वसूली की गई एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 तक प्रारंभिक जमा शेष राशि रु.3.78 लाख था। इसके अलावा हमने लेखापरीक्षा के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान रु.1.44 लाख की वसूली की और 31.03.2024 तक अंतिम जमा शेष राशि रु.2.34 लाख था। इसके अलावा 01.04.2024 से 15.09.2024 के बीच रु.0.33 लाख की वसूली की गई। साथ ही हम शेष राशि की वसूली करने के लिए बैंकों के साथ इस मामले का लगातार अनुसरण कर रहे हैं और बकाया राशि वसूल होने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा ब्यौरे को वार्षिक लेखा की टिप्पणी में दर्शाया गया है।

क्र. सं.	लेखापरीक्षा का मंतव्य	प्रबंधन का उत्तर
3.	हमने अचल परिसंपत्तियों के क्षेत्र में देखा है कि अचल परिसंपत्ति के रजिस्टर हालांकि विगत कुछ वर्षों से कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध है लेकिन उससे पहले की अवधि के लिए अचल परिसंपत्ति के रजिस्टर का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया है एवं कम्प्यूटरीकृत तरीके से अचल परिसंपत्ति के रजिस्टर का उन्नयन और रखरखाव का कार्य किया जाना अभी बाकी है लेकिन कार्य प्रक्रिया पर है।	जेसीआई ने पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत मोड में अचल परिसंपत्ति के रजिस्टर के उन्नयन और रखरखाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके जल्द से जल्द पूरा होने की उम्मीद है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट के कार्य-प्रणाली के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। इस अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का दायित्व है कि वे स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर इस अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इस वित्तीय विवरणियों पर अपना विचार रखे जो इस अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा मानक के अनुसार हो। यह दर्शाया जाता है कि 28 अक्टूबर, 2024 के उनके लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ऐसा ही किया गया होगा।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से इस अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों का अनुपूरक लेखापरीक्षा का संचालन किया हूं। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो इस अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक को जन्म दे।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से

(अनिंद्य दासगुप्ता)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 28 नवंबर, 2024

31 मार्च, 2024 तक का तुलन-पत्र

(राशि लाख में)

ब्यौरा	टिप्पणी सं.	31/03/2024 को	31/03/2023 को
I. इक्वीटी एवं देयताएं			
शेयरधारकों की निधि			
शेयर पूंजी	3(ए)	500.00	500.00
आरक्षित एवं अधिशेष	3(बी)	17,763.01	13,869.83
अप्रचलित देयताएं			
अन्य दीर्घावधि देयताएं	4	2,937.68	2,734.74
दीर्घावधि प्रावधान	5	780.91	964.91
चालू देयताएं			
अल्पावधि उधार	6	12,881.36	2,845.44
व्यापारिक देय	7		
ए. सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		177.88	8.98
बी. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		3,762.29	1,067.27
अन्य चालू देयताएं	8	5,410.64	2,300.26
अल्पावधि प्रावधान	9	209.74	171.77
कुल		**44,423.51**	**24,463.20**
II. परिसंपत्तियां			
अप्रचलित परिसंपत्तियां			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियां	10		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		302.29	255.55
अमूर्त परिसंपत्तियां		0.87	1.61
अन्य अप्रचलित परिसंपत्तियां	11	35.99	35.88
चालू परिसंपत्तियां			
वस्तुसूची	12	31,931.46	16,177.93
व्यापारिक प्राप्य	13	2,952.70	1,523.25
नकद एवं नकद समतुल्य	14	8,226.26	5,891.89
अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	15	599.61	381.84
अन्य चालू परिसंपत्तियां	16	374.33	195.25
कुल		**44,423.51**	**24,463.20**
सामान्य सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1 & 2		
वित्तीय विवरण की अन्य टिप्पणियां	25-42		

उपरोक्त फार्म में दर्शायी गयी टिप्पणियां इस वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।

हमारे उस तिथि के रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते जे.के.वी.एस. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 318086ई

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(उत्सव सराफ)
साझेदार
(सदस्यता सं.306932)

(अभिक साहा)
कंपनी सचिव

(अजय कुमार जॉली)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08427305

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 28.10.2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि विवरण

(राशि लाख में)

ब्यौरा	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
I. राजस्व			
परिचालन से राजस्व	**17**	59,151.37	14,231.73
अन्य आय	**18**	550.54	966.79
कुल राजस्व		**59,701.91**	**15,198.52**
II. व्यय			
व्यापार में स्टॉक की खरीद और प्रत्यक्ष व्यय	**19**	62,990.49	25,898.66
व्यापार में स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन	**20**	(15,753.53)	(15,683.94)
कर्मचारी लाभ खर्च	**21**	2,645.24	2,557.09
वित्तीय लागत	**22**	830.98	87.77
मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्च	**23**	27.91	19.50
अन्य खर्चे	**24**	2,595.58	1,131.84
कुल खर्च		**53,336.67**	**14,010.92**
अपवादी एवं असाधारण व्यय से पहले लाभ		**6,365.24**	**1,187.60**
अपवादी मदें		-	-
असाधारण मदें		-	-
कर से पहले लाभ/(हानि)		**6,365.24**	**1,187.60**
कर व्यय:			
वर्तमान कर		1,753.56	187.00
आस्थगित कर		.	-
इस वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		**4,611.68**	**1,000.60**
इक्वीटी शेयर का औसतन सं.(प्रत्येक का अंकित मूल्य 100 रु.)		**500,000**	**500,000**
अर्जन प्रति शेयर			
मूल		922.00	200.00
मिश्रित		922.00	200.00
सामान्य सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	**1&2**		
वित्तीय विवरण की अन्य टिप्पणियां	**25-42**		

उपरोक्त फार्म में दर्शायी गयी टिप्पणियां इस वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।
हमारे उस तिथि के रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते जे.के.वी.एस. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 318086ई

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(उत्सव सराफ)
साझेदार
(सदस्यता सं.306932)

(अभिक साहा)
कंपनी सचिव

(अजय कुमार जॉली)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08427305

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 28.10.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण

(राशि लाख में)

ब्यौरा	2023-2024	2022-2023
ए. परिचालन के क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह		
कर एवं पूर्व अवधि के समायोजन से पहले लाभ/(हानि)	6,365.24	1,187.60
समायोजन हेतु :		
अपवादी मद	-	
मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्च	27.91	19.50
अचल परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ	-	(1.33)
ब्याज आय	(169.84)	(397.05)
वित्तीय लागत	830.98	87.77
कार्यकारी पूंजी के परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	7,054.29	896.49
वस्तुसूची में (बढ़ोतरी)/कमी	(15,753.53)	(15,683.94)
विविध देनदारों में (बढ़ोतरी)/कमी	(1,429.45)	(1,416.50)
ऋण एवं अग्रिम राशि में (बढ़ोतरी)/कमी	(210.36)	162.02
देयताओं एवं प्रावधानों में बढ़ोतरी/(कमी)	5,911.12	(70.17)
	(4,427.93)	(16,112.10)
बाद : भुगतान किए गए आयकर	(1,940.16)	(52.13)
परिचालन के क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद प्रवाह	**(6,368.09)**	**(16,164.23)**
बी. निवेश के क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों का क्रय	(73.95)	(30.89)
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की बिक्री/वसूली	0.04	1.42
प्राप्त ब्याह	169.84	397.05
निवेश के क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद प्रवाह	**95.93**	**367.58**
सी. वित्तीय क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह		
लिया गया/(चुकाया गया) अल्पावधि ऋण	10,035.92	2,845.41
वित्तीय लागत	(830.98)	(87.77)
वितरण कर सहित भुगतान किये गये लाभांश	(718.50)	-
वित्तीय क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद प्रवाह	8,486.44	2,757.64
नकद एवं नकद के समतुल्य में शुद्ध बढ़ोतरी/कमी	2,214.28	(13,039.01)
वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद के समतुल्य	3,397.59	16,436.60
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद के समतुल्य	**5,611.87**	**3,397.59**

हमारे उस तिथि के रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते जे.के.वी.एस. एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 318086ई

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(उत्सव सराफ)
साझेदार
(सदस्यता सं.306932)

(अभिक साहा)
कंपनी सचिव

(अजय कुमार जॉली)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08427305

स्थान: कोलकाता
दिनांक : 28.10.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के नकद प्रवाह विवरण की टिप्पणी

(राशि लाख में)

31 मार्च को समाप्त वर्ष हेतु	2023-2024	2022-2023
नकद एवं नकद के समतुल्य		
तुलन-पत्र के अनुसार - नकद एवं नकद के समतुल्य	8,226.26	5,891.89
बाद : नकद, बैंक एवं सावधि जमा		
रेटिंग टैंक (भारत सरकार)	88.08	83.97
बायो-टेक्नोलॉजिकल रेटिंग टेक्नोलॉजी	1.17	1.17
आईजेएसजी	13.98	13.97
भारत सरकार से रिबनर का विकास	144.70	138.06
जूट टेक्नोलॉजी मिशन	2,366.46	2,257.13
उप कुल	2,614.39	2,494.30
कुल नकद एवं नकद के समतुल्य	**5,611.87**	**3,397.59**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी :

1. सामान्य सूचना

वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) के अंतर्गत भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (भापनि), सीपीएसई की स्थापना भारत में कच्चे जूट के एमएसपी क्रिया-कलाप करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए 1971 में हुआ। आरंभ में भापनि ने छोटे व्यापार एजेंसी के रूप में अपना क्रिया-कलाप आरंभ किया किंतु इसके उपरांत धीरे-धीरे इसने भारत के जूट उगाही क्षेत्रों में अपने नेटवर्क का विस्तार किया और अभी यह सफलतापूर्वक भारत के 6 राज्यों (पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा, ओडिशा एवं आंध्रप्रदेश) में फैला हुआ है। भापनि अपने 110 विभागीय क्रय केंद्र एवं 14 क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय लीड डीपीसीज के साथ-साथ कोलकाता में प्रधान कार्यालय के माध्यम से क्रिया-कलाप करता है।

भापनि जूट की खरीद करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलापों का निष्पादन करने के लिए जिम्मेदार है एवं वह कच्चे जूट के बाजार में स्थिरता लानेवाला एजेंसी के रूप में कार्य करता है। भापनि के मूल्य समर्थन क्रिया-कलापों में एमएसपी पर कृषकों, सामान्यत: छोटे एवं उपांतिक (मार्जिनल) कृषकों से कच्चे जूट की खरीददारी करना शामिल है जो किसी मात्रात्मक सीमा के बिना है और जब कच्चे जूट का चालू बाजार मूल्य एमएसपी स्तर पर या उससे नीचे रहता है। ये क्रिया-कलापें अधिक आपूर्ति को रोकते हुए बाजार में कल्पित बफर को सृजित करने में मदद करते हैं ताकि कच्चे जूट के मूल्यों में अंतर-मौसमी चंचलता रुक सके। यह जमीनी मूल्य भी प्रदान करता है जिस पर जूट कृषक अपने उत्पाद को बेच सके।

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रिया-कलाप (एमएसपी) के अलावा भापनि कच्चे जूट का वाणिज्यिक क्रिया-कलाप, विविध जूट उत्पादों में व्यापार एवं प्रमाणित जूट बीज का वितरण भी करता है।

2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

2.1 लेखाकरण का आधार और वित्तीय विवरणियों की तैयारी

लेखा को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 एवं उससे संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित लागू भारतीय लेखाकरण सिद्धांत, लागू लेखाकरण मानकों के साथ सभी सामग्री में अनुपालन करने के लिए तैयार किया गया है। सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं को निगम के सामान्य परिचालन परिधि एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में विस्थापित अन्य मानदंड के अनुसार चालू अथवा गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

वित्तीय विवरणियों को ऐतिहासिक लागत रिवाज के अंतर्गत एकीकृत के आधार पर तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणियों की तैयारी करने में अपनाये गये लेखाकरण नीतियां विगत वर्ष के समान हैं।

2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं मूल्यह्रास:

i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) को संचित मूल्यह्रास बाद कर अर्जन के लागत पर दर्शाया गया है।

ii) लीजहोल्ड परिसर की लागत को लीज की अवधि में परिशोधित किया गया है।

iii) लीजहोल्ड परिसर के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) पर मूल्यह्रास को उपयोगी जीवन पर सीधी तौर पर और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित तरीके से दिखाया गया है।

iv) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अंतर्गत कंप्यूटर में अंतिम उपयोगकर्ता डिवाइस के रूप में मोबाइल फोन शामिल हैं।

2.3 अमूर्त परिसंपत्तियां और परिशोधन

i) अमूर्त परिसंपत्तियां जैसे कंप्यूटर साफ्टवेयर आदि जैसाकि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक 26 में परिभाषित किया गया है, को परिशोधन बाद कर अर्जन के लागत पर दर्शाया गया है।

ii) अमूर्त परिसंपत्तियों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस 26 के अनुरूप एवं उसके व्यवहारिक जीवन पर विचार करते हुए पांच वर्ष से दस वर्ष तक के लिए सीधे लाइन पर परिशोधित किया गया है।

2.4 वस्तुसूचियां

i) क्रय किये गये कच्चे जूट के स्टॉक का कीमत उसके वजन के औसतन लागत या शुद्ध वसूली योग्य कीमत, जो भी कम हो, पर की जाती है।

ii) जूट विविध वस्तुओं का कीमत उसके लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है।

iii) जूट बीज का कीमत उसके लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है।

iv) लेखा विवरण में कच्चे जूट के स्टॉक की मात्रा को 180 किलोग्राम प्रति गांठ में दर्शाया गया है।

2.5 नकद एवं नकद समतुल्य

नकद जिसमें नकद हाथ में, बैंकों में जमा शेष राशि जो नकद राशि में परिवर्तनीय पढ़ा जाता है, सम्मिलित है और वह परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन है।

2.6 नकद प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए नकद प्रवाहों का रिपोर्ट किया जाता है जिसके द्वारा अपवादी एवं असाधारण मदों व कर से पहले नकद प्रवृति के लेन-देन के लिए लाभ को समायोजित किया जाता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर नकद प्रवाह निगम के परिचालन, निवेश एवं वित्तीय क्रिया-कलापों से अलग रहता है एवं लेखाकरण मानक 3 का अनुपालन किया जाता है।

2.7 कर्मचारियों को लाभ

i) ग्रेच्युटी

ए) नियमित कर्मचारीगण

निगम भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित ग्रुप ग्रेच्युटी निधि में नियमित अंशदान करता है एवं इस निधि से नियमित कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देयता दी जाती है।

बी) आकस्मिक कर्मचारीगण, संविदागत, बाह्य श्रोत एवं कांटिंजेंट कर्मचारीगण

निगम वास्तविक मूल्य के आधार पर वित्तीय विवरण में आकस्मिक, संविदागत, बाह्य श्रोत एवं कांटिंजेंट कर्मचारियों के ग्रेच्युटी हेतु देयता प्रदान करता है एवं निगम द्वारा आकस्मिक, संविदागत, बाह्य श्रोत एवं कांटिंजेंट कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृति पर ग्रेच्युटी देयताएं दी जाती है।

सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देय है जिसका अधिकतम सीमा 20 लाख रु. (सीडीए वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी के लिए 01-01-2024 से 25 लाख रु.) है। कर्मचारियों की सेवानिवृति आयु 58 वर्ष है। भविष्य में होनेवाली वेतन वृद्धि को लेखा में दर्शाया जाता है जब देयता की गणना की जाती है। मंहगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी को बीमांकिक मूल्यांकन में उचित ढंग से विचारा गया है। बीमांकिक मूल्यांकनों में अंगीकार एवं व्यवहार किये गये कार्य-प्रणाली लेखाकरण मानक 15 (2005 में संशोधित) के आवश्यकतानुसार विद्यमान हैं।

ii) छुट्टी भुनाने का लाभ (अनिधिक)

निगम नियमित कर्मचारियों को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत होने पर वर्तमान कर्मचारियों की छुट्टी भुनाने के लाभ को वित्तीय विवरणी में अंतिम तिथि पर देयता प्रदान करता है।

बीमांकिक मूल्यांकन में अंगीकार एवं व्यवहार किये गये कार्य-प्रणाली लेखाकरण मानक 15 (2005 में संशोधित) के आवश्यकतानुसार विद्यमान हैं।

iii) कर्मचारियों को भविष्यनिधि और परिवार पेंशन निधि

भविष्यनिधि एवं पेंशन निधि के अंशदान को उस अवधि के लिए मान्यता दी जाती है जिस अवधि के दौरान कर्मचारियों ने सेवा दी है। भविष्यनिधि के अंशदान भारतीय पटसन निगम लि. के अंशदायी भविष्यनिधि ट्रस्ट के पास जमा होता है। कर्मचारियों के भविष्यनिधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधान के अनुसार पेंशन निधि के अंशदान क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त के पास जमा होता है।

iv) छुट्टी यात्रा रियायत

जब कभी कर्मचारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत का दावा किया जाता है तब उसे लेखा में दर्शाया जाता है।

2.8 राजस्व अभिज्ञान:

वित्तीय विवरण तैयार करने में आय/व्यय को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष उस राशि की वसूली/भुगतान साधारणतया निश्चित मालूम पड़ता है और/या निपटाई जाती है। निम्निलिखित मामलों के लिए आय/व्यय की मान्यता वास्तविक वसूली/निपटान पर दी गई है।

(ए) लिखित ऋणों पर ब्याज आय यदि कुछ हो।

(बी) कर्मचारियों को अग्रिम पर ब्याज यदि कुछ हो।

(सी) बीमा कंपनियों एवं अन्य एजेंसियों के पास दर्ज की गई अस्थायी दावे यदि कुछ हो। .

(डी) ढुलाई लागत यदि कुछ हो।

(ई) एमएसपी क्रिया-कलाप के लिए सरकार से आर्थिक सहायता को उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाता है, यदि वह अनुमोदन उस वर्ष के लेखा का अंतिम रूप देने से पहले प्राप्त होता है। यदि आर्थिक सहायता का सरकारी अनुमोदन उस वर्ष के लेखा का अंतिम रूप देने के उपरांत प्राप्त होता है तब लेखा में उचित टिप्पणी के साथ उसे अनुमोदन प्राप्त होनेवाले वर्ष में दर्शाया जाता है।

2.9 वेतनमान का संशोधन करने के लिए देयता

कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में संशोधन/बढ़ोतरी के लिए देयता को उस वर्ष में ही मान्यता दी जाती है जिस वर्ष सरकार उसे अनुमोदित करता है तथा/या निगम को अधिसूचित करता है।

2.10 पूर्व अवधि का समायोजन

विगत वर्ष से संबंधित 10,000 रु. से अधिक का व्यक्तिगत लेन-देन को पूर्व अवधि का समायोजन लेखा के अंतर्गत दिखाया गया है।

2.11 चालू एवं आस्थगित कर हेतु प्रावधान

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अंतर्गत स्वीकार योग्य लाभ पर विचार करने के उपरांत चालू कर के लिए प्रावधान बना है।

आस्थगित कर को वर्ष के कर योग्य आय एवं लेखाकरण आय के बीच अंतर होने की वजह से समय के अंतर पर मान्यता दी जाती है और संभवत: एक या उससे अधिक वार आगामी अवधि में उल्टा हो जाता है (एएस 22 के अनुरूप)।

2.12 परिसंपत्तियों की हानि

परिसंपत्ति को खराब के रूप में समझा गया जब परिसंपत्तियों की ढुलाई लागत उसकी वापसी योग्य कीमत से अधिक हो गया। हानि को वर्ष के लाभ-हानि खाता में दिखाया गया है जिसमें परिसंपत्ति को खराब के रूप में चिह्नीत किया गया है। यदि वापसी योग्य कीमत का आकलन करने में परिवर्तन हुआ है तो लेखाकरण अवधि के पूर्व मान्यता दी गई हानि में उलट-फेर हुई है।

2.13 प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं एवं प्रासंगिक परिसंपत्तियां

विगत घटनाओं के फलस्वरूप जब वर्तमान दायित्व रहता है तब मापने में अनुमान की पर्याप्त डिग्री को शामिल करते हुए प्रावधान को मान्यता दी जाती है एवं यह संभव है कि यह संसाधन से बाहर होगा। प्रासंगिक देयताओं को मान्यता दी गई है एवं उसे टिप्पणी में दिखाया गया है। प्रासंगिक परिसंपत्तियों को न तो मान्यता दी गई है न ही वित्तीय विवरणियों में दिखलाया गया है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि लाख में)

3(ए). : शेयर पूंजी

ब्यौरा	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
प्राधिकृत				
100 रु. के प्रत्येक इक्वीटी शेयर की 5,00,000 इक्वीटी शेयर		500.00		500.00
		500.00		**500.00**
जारी, अभिदत्त एवं चुकता				
100 रु. के प्रत्येक इक्वीटी शेयर की संपूर्ण चुकता 5,00,000 इक्वीटी शेयर		500.00		500.00
		500.00		**500.00**
(ए) वर्ष की समाप्ति पर बकाया इक्वीटी शेयरों का समाधान				
	शेयरों की सं.	**राशि**	**शेयरों की सं.**	**राशि**
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	5,00,000	500.00	5,00,000	500.00
योग : वर्ष के दौरान जारी किये गये शेयर	-	-	-	-
बाद : वर्ष के दौरान खरीदे गये शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**5,00,000**	**500.00**	**5,00,000**	**500.00**

(बी) इक्वीटी शेयरों के साथ संलग्न नियम और अधिकार कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी की इक्वीटी शेयर है जिसमें शेयर होल्डरों को शेयर के अनुरूप वोट देने का अधिकार है।	**शेयर होल्डर का नाम**	**31 मार्च, 2024 तक**		**31 मार्च, 2023 तक**	
(सी) कंपनी में 5% शेयरों से अधिक रखने वाले शेयर होल्डरों का ब्यौरा	**भारत के राष्ट्रपति**	**शेयर की सं.**	**होल्डिंग का %**	**शेयर की सं.**	**होल्डिंग का %**
		499998	**99.99%**	**499998**	**99.99%**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि लाख में)

3(बी).: आरक्षित एवं अधिशेष

ब्यौरा	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
अधिशेष				
विगत तुलन-पत्र के अनुसार	13,869.83		12,869.23	
योग : इस वर्ष का लाभ/(हानि)	4,611.68		1,000.60	
	18,481.51		13,869.83	
बाद : प्रदत्त लाभांश	718.50		-	
		17,763.01		13,869.83
शुद्ध अधिशेष		**17,763.01**		**13,869.83**

4. अन्य दीर्घावधि देयताएं

ब्यौरा	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
परियोजना निधि में जमा शेष राशि				
रेटिंग टैंक (भारत सरकार)		88.08		83.97
बायो टेक्नोलॉजीकल रेटिंग टेक्नोलॉजी		1.17		1.17
आई जे एस जी		13.98		13.98
भारत सरकार से रिबनर का विकास		144.70		138.06
जूट टेक्नोलॉजी मिशन		2,366.46		2,257.13
अन्यान्य गैर-प्रचलित देयताएं				
बयाना राशि जमा		0.23		6.75
प्रतिभूति जमा राशि		83.40		2.42
व्यय एवं अन्य देय हेतु देयता		161.74		152.65
ग्राहकों से अग्रिम		7.90		8.59
जेटीएम से अग्रिम		10.27		10.27
पायलट प्रोजेक्ट्स खाता		0.48		0.48
प्रोजेक्ट डेकोर्टिकेटर मशीन		10.88		10.88
प्रोजेक्ट संतृप्ति		48.39		48.39
कुल		**2,937.68**		**2,734.74**

5. दीर्घावधि प्रावधान

ब्यौरा	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान				
ग्रैच्युटी (आकस्मिक कर्मचारी)		274.92		251.68
छुट्टी का वेतन (नियमित कर्मचारी)		505.99		713.23
कुल		**780.91**		**964.91**

6. अल्पावधि उधार

अन्य दीर्घावधि देयताएं	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
(ऋण मांग पर चुकाने योग्य और सुरक्षित)				
बैंकों से :				
भारतीय सेंट्रल बैंक से नकदी ऋण		5,127.80		1,478.85
पंजाब नेशनल बैंक से नकदी ऋण		3,027.68		1,366.59
यस बैंक से नकदी ऋण		199.51		-
एसबीआई से नकदी ऋण		4,526.37		-
अन्यान्य पार्टियों से		-		-
कुल		**12,881.36**		**2,845.44**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि लाख में)

7: व्यापारिक देय

ब्यौरा	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		177.88		8.98
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य की कुल बकाया राशि		3,762.29		1,067.27
संबंधित पार्टियों को देय		-		-
कुल		**3,940.17**		**1,076.25**

7.1: व्यापारिक देय पुरानी अनुसूची : 31 मार्च, 2024 को

ब्यौरा	बिल न किया गया बकाया	बकाया नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
एमएसएमई	-	-	148.52	-	-	-	148.52
अन्यान्य	-	-	3,576.50	77.16	108.63	-	3,762.29
एमएसएमई - (विवादित)	-	-	28.05	1.04	0.27	-	29.36
अन्यान्य - (विवादित)	-	-	-	-	-	-	-
कुल			**3,753.07**	**78.20**	**108.90**	**-**	**3,940.17**

7.2: व्यापारिक देय पुरानी अनुसूची : 31 मार्च, 2023 को

ब्यौरा	बिल न किया गया बकाया	बकाया नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
एमएसएमई	-	-	6.88	0.79	-	-	7.67
अन्यान्य	-	-	945.82	112.59	4.11	4.75	1,067.27
एमएसएमई - (विवादित)	-	-	1.04	0.27	-	-	1.31
अन्यान्य - (विवादित)	-	-	-	-	-	-	-
कुल			**953.74**	**113.65**	**4.11**	**4.75**	**1,076.25**

8: अन्य चालू देयताएं

ब्यौरा	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
सांविधिक बकाया				
पेंशन निधि देय		26.81		17.30
ईएसआई देय		0.15		0.91
भविष्य निधि देय		19.04		0.51
टीसीएस देय		7.26		3.69
टीडीएस देय		38.56		30.75
प्रोफेशन टैक्स देय		0.32		0.42
जीएसटी देय		6.61		10.51
अन्य बकाया :				
बयाना राशि जमा		19.73		8.61
प्रतिभूति जमा राशि		359.40		292.85
प्रतिधारण राशि		106.84		98.04
व्यय एवं अन्य देय हेतु देयता		987.12		359.35
परियोजना आई-केयर		1,126.12		951.15
परियोजना जेआरसीपीसी		1.29		-
ग्राहकों से अग्रिम		2,488.10		469.46
बैंक प्रभार देय		-		0.45
देय दावे		223.29		56.26
कुल		**5,410.64**		**2,300.26**

9: अल्पावधि प्रावधान

ब्यौरा	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान				
बोनस	45.43		21.63	
छुट्टी का वेतन (नियमित कर्मचारी)	49.20		71.87	
ग्रैच्युटी (नियमित कर्मचारी)	62.49		-	
ग्रैच्युटी (आकस्मिक कर्मचारी)	52.62		78.27	
		209.74		**171.77**
कुल		**209.74**		**171.77**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

10. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(राशि लाख में)

मूर्त परिसंपत्ति	कुल ब्लॉक				मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक	
	31.03.2023 को	योग	लोप/ समायोजन	31.03.2024 को	31.03.2023 को	योग वर्ष के लिए	लोप/ समायोजन	31.03.2024 को	31.03.2024 को	31.03.2023 को
पट्टे पर परिसर	259.98	-	-	259.98	64.13	2.89	-	67.02	192.96	195.85
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	35.15	2.25	-	37.40	32.79	0.53	-	33.32	4.08	2.36
कार्यालय का सामान	25.79	5.88	-	31.67	15.90	2.63	-	18.53	13.14	9.89
डीपीसी का सामान	21.81	36.02	-	57.83	10.38	1.49	-	11.87	45.96	11.43
कंप्यूटर	109.11	27.54	0.63	136.02	73.40	19.45	0.59	92.26	43.76	35.71
विद्युत संस्थापन	0.87	1.91	-	2.78	0.67	0.14	-	0.81	1.97	0.20
वातानुकूलित यंत्र	2.22	0.35	-	2.57	2.11	0.04	-	2.15	0.42	0.11
साइकिलें	1.16	-	-	1.16	1.16	-	-	1.16	-	-
कुल(ए)	**456.09**	**73.95**	**0.63**	**529.41**	**200.54**	**27.17**	**0.59**	**227.12**	**302.29**	**255.55**
अमूर्त परिसंपत्ति										
कंप्यूटर साफ्टवेयर	5.58	-	-	5.58	5.07	0.45	-	5.52	0.06	0.51
वेबसाइट	1.15	-	-	1.15	0.52	0.23	-	0.75	0.40	0.63
ट्रेड मार्क	0.60	-	-	0.60	0.13	0.06	-	0.19	0.41	0.47
कुल(बी)	**7.33**	**-**	**-**	**7.33**	**5.72**	**0.74**	**-**	**6.46**	**0.87**	**1.61**
चालू वर्ष (ए+बी)	**463.42**	**73.95**	**0.63**	**536.74**	**206.26**	**27.91**	**0.59**	**233.58**	**303.16**	**257.16**
विगत वर्ष	442.76	30.89	10.23	463.42	196.90	19.50	10.14	206.26	257.16	245.86

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि लाख में)

11. अन्य अप्रचलित परिसंपत्तियां

ब्यौरा	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
प्रतिभूति जमा राशि				
असुरक्षित, खारा समझा गया		0.40		0.29
अन्य पार्टियों को अग्रिम				
असुरक्षित एवं खारा समझा गया	35.59		35.59	
असुरक्षित एवं संदेहास्पद समझा गया	0.53		0.69	
बाद : रखे गये प्रावधान	(0.53)	35.59	(0.69)	35.59
कुल		**35.99**		**35.88**

12. वस्तुसूची

ब्यौरा	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
कच्चा जूट - मूल्य समर्थन		25,089.50		8,531.12
कच्चा जूट - वाणिज्यिक		6,497.90		7,277.99
जूट बीज		285.30		334.94
जूट विविध उत्पाद		58.76		33.88
कुल		**31,931.46**		**16,177.93**

13. व्यापारिक प्राप्य

ब्यौरा	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
छ: महीने से अधिक का बकाया				
असुरक्षित, खारा समझा गया	59.44		69.70	
असुरक्षित एवं संदेहास्पद समझा गया	0.73		3.69	
संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	(0.73)	59.44	(3.69)	69.70
अन्यान्य		2,893.26		1,453.55
कुल		**2,952.70**		**1,523.25**

13.1: व्यापारिक प्राप्य पुरानी अनुसूची : 31 मार्च, 2024 को

ब्यौरा	बिल न किया गया बकाया	बकाया नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
			6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
निर्विवाद खारा समझा गया	-	-	2,893.26	8.12	10.55	-	40.77
निर्विवाद संदेहास्पद समझा गया	-	-	-	-	-	-	0.73
विवादित खारा समझा गया	-	-	-	-	-	-	-
विवादित संदेहास्पद समझा गया	-	-	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि लाख में)

13.2: व्यापारिक प्राप्य पुरानी अनुसूची : 31 मार्च, 2023 को

ब्यौरा	बिल न किया गया बकाया	बकाया नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
			6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1 - 2 वर्ष	2 - 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
निर्विवाद खारा समझा गया	-	-	1,453.55	0.81	9.92	39.65	19.32
निर्विवाद संदेहास्पद समझा गया	-	-	-	-	-	-	3.69
विवादित खारा समझा गया	-	-	-	-	-	-	-
विवादित संदेहास्पद समझा गया	-	-	-	-	-	-	-

14. नकद एवं नकद के समतुल्य

ब्यौरा	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
नकद एवं नकद के समतुल्य				
बैंक में जमा शेष राशि:				
चालू खाते में		2,305.07		1,007.84
बचत खाते में		987.98		384.65
सावधि जमा खाते में		4,933.08		4,496.44
हाथ में नकद		0.13		2.96
कुल		**8,226.26**		**5,891.89**

15. अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

ब्यौरा	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
नकद या इसी प्रकार में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम राशि				
स्टॉफ को अग्रिम		3.31		1.61
अन्य पार्टियों को अग्रिम				
असुरक्षित एवं खारा समझा गया		37.27	-	11.43
प्रीपेड खर्चे		75.58		71.46
जीएसटी प्राप्य		0.00		0.49
अग्रिम आयकर	10,590.47		8,600.97	
बाद : आयकर के लिए प्रावधान				
विगत लेखानुसार जमा शेष राशि	8,304.12		8,096.15	
वर्ष के दौरान योग	1,802.90		207.97	
		483.45		296.85
कुल		**599.61**		**381.84**

16. अन्य चालू परिसंपत्तियां

ब्यौरा	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
अर्जित ब्याज किंतु बकाया नहीं		132.82		78.29
भारत सरकार से प्राप्ति योग्य आर्थिक सहायता		109.00		109.00
प्राप्ति योग्य बीमा दावे		4.90		7.96
सांविधिक प्राधिकरणों के पास जमा		127.61		-
कुल		**374.33**		**195.25**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि लाख में)

17. परिचालन से राजस्व

ब्यौरा	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
विक्रय :		
कच्चा जूट-मूल्य समर्थन	55,694.75	10,482.84
कच्चा जूट-वाणिज्यिक	-	219.36
जूट विविध उत्पाद	149.33	143.18
जूट विविध उत्पाद (निर्यात)	0.87	0.65
जूट का पौधा	-	1.45
जूट बीज	754.41	509.09
बाद : दावे का भुगतान किया गया	(247.99)	(24.84)
	56,351.37	**11,331.73**
17.1 अन्य परिचालन वाले राजस्व		
भारत सरकार से आर्थिक सहायता (एमएसपी)	2,800.00	2,900.00
कुल	**59,151.37**	**14,231.73**

18. अन्य आय

ब्यौरा	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
ब्याज आय	169.84	397.05
भाड़ा प्राप्त	1.02	1.91
ढुलाई लागत (मूल्य समर्थन)	235.80	7.62
देयता को अब लिखने की आवश्यकता नहीं	60.99	494.76
बीमा दावे	2.92	1.93
विविध आय	15.00	13.98
पर्यवेक्षण प्रभार (परियोजनाओं)	64.97	49.54
कुल	**550.54**	**966.79**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि लाख में)

19. व्यापारिक वस्तुओं का लागत एवं प्रत्यक्ष खर्चे

ब्यौरा	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
क्रय		
कच्चा जूट - मूल्य समर्थन	59,745.70	16,528.00
कच्चा जूट - वाणिज्यिक	-	7,745.14
जूट विविध उत्पाद	149.60	132.86
जूट का पौधा	-	0.50
जूट बीज	700.10	657.18
उप-कुल (ए)	**60,595.40**	**25,063.68**
प्रत्यक्ष खर्चे		
परिचालन खर्चे	1,827.09	628.50
कर एवं लेवी	568.00	206.48
उप-कुल (बी)	**2,395.09**	**834.98**
कुल	**62,990.49**	**25,898.66**

20. व्यापारिक वस्तुओं की वस्तुसूची में परिवर्तन

ब्यौरा	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
प्रारंभिक स्टॉक		
कच्चा जूट - मूल्य समर्थन	8,531.12	53.07
कच्चा जूट - वाणिज्यिक	7,277.99	228.30
जूट बीज	334.94	179.53
जूट विविध उत्पाद	33.88	33.09
कुल	**16,177.93**	**493.99**
अंतिम स्टॉक		
कच्चा जूट - मूल्य समर्थन	25,089.50	8,531.12
कच्चा जूट - वाणिज्यिक	6,497.90	7,277.99
जूट बीज	285.30	334.94
जूट विविध उत्पाद	58.76	33.88
कुल	**31,931.46**	**16,177.93**
शुद्ध (वृद्धि)/कमी	**(15,753.53)**	**(15,683.94)**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि लाख में)

21. कर्मचारी लाभ खर्चे

ब्यौरा	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन एवं भत्ते	1,299.87	1,231.86
मजदूरी	981.05	685.77
निदेशकों का पारिश्रमिक	79.11	77.75
बोनस	48.24	20.11
किराया आवासीय	-	2.32
पेंशन निधि में निगम का अंशदान	33.63	35.89
ग्रेच्युटी निधि में निगम का अंशदान	148.31	75.79
भविष्य निधि में निगम का अंशदान	101.57	97.32
ईएसआई में निगम का अंशदान	4.52	6.10
स्टाफ कल्याण खर्चे	37.37	27.87
सेवानिवृत्ति पर छुट्टी भुनाने का लाभ	(168.94)	215.35
चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	76.79	74.54
सीपीएफ का प्रशासनिक प्रभार	1.99	2.35
अवकाश यात्रा व्यय	1.73	4.07
कुल	**2,645.24**	**2,557.09**

22. वित्तीय लागत

ब्यौरा	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
नकद ऋण पर ब्याज	780.81	87.66
अन्यान्य	50.17	0.11
कुल	**830.98**	**87.77**

23. मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्चे

ब्यौरा	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
मूल्यह्रास खर्चे	27.17	18.40
परिशोधन खर्चे	0.74	1.10
कुल	**27.91**	**19.50**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि लाख में)

24. अन्य खर्चे

ब्यौरा	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
छपाई एवं लेखन सामग्री	22.32	11.78
विद्युत प्रभार	17.56	14.11
भाड़ा	75.38	14.20
गोदाम भाड़ा एवं भंडारण	269.58	186.52
मरम्मत एवं नवीनीकरण	36.48	40.86
कार्यालय का रख-रखाव खर्च	14.88	10.80
महसूल एवं कर	0.98	4.78
बीमा	125.66	59.46
जेडीपी के विकास खर्चे	17.26	24.85
क्लब खर्चे	3.08	2.93
भर्ती खर्च	0.93	81.36
यात्रा एवं यातायात	134.56	90.75
विधि एवं पेशेवर शुल्क	39.01	28.31
भाड़ा खर्चे	1,574.62	314.11
जीएसटी	1.78	4.69
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	2.85	2.85
अन्य लेखापरीक्षा शुल्क	3.56	1.58
दूरभाष एवं इंटरनेट प्रभार	14.67	14.07
डाक एवं कोरियर	2.24	1.21
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	2.05	1.31
मनोरंजन खर्चे	0.52	0.54
सम्मेलन एवं बैठक खर्चे	27.01	16.80
कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चे	10.50	41.13
विज्ञापन एवं प्रचार	5.74	6.98
कार खर्चे	46.63	55.83
बैंक प्रभार	3.94	1.84
मानदेय एवं अन्य शुल्क	0.20	0.02
विविध जमा शेष राशि बट्टे खाते में डाला गया	0.07	28.49
क्षे.का. एवं प्र.का. खर्चे	128.07	64.15
सुरक्षा गार्ड खर्च	13.45	5.53
कुल	**2,595.58**	**1,131.84**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लेखा की टिप्पणियां

25. कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित प्रकटीकरण

i. ग्रेच्युटी (नियमित)

एलआईसी द्वारा की गई मांग के अनुसार वर्ष के दौरान निगम ने नियमित कर्मचारियों के लिए अपना ग्रेच्युटी देयता रु.105.03 लाख (विगत वर्ष रु.60.90 लाख) का भुगतान किया है।

ii. ग्रेच्युटी (आकस्मिक, संविदागत, बाह्य श्रोत एवं कांटिंजेंट)

वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर आकस्मिक, संविदागत, बाह्य श्रोत एवं कांटिंजेंट कर्मचारियों के लिए वर्ष के अंत में ग्रेच्युटी देयता की जमा शेष राशि रु.327.54 लाख (विगत वर्ष रु.329.96 लाख) है। वास्तविक अंगीकार का आधार निम्न प्रकार हैं:

मूल्यांकन करने का आधार		
	31.03.2024	**31.03.2023**
छूट की दर प्रति वर्ष (चक्रवृद्धि)	6.95%	7.10%
वेतन में वृद्धि दर	14.00%	14.00%
कर्मचारियों का कार्य जीवन अनुमानित औसतन रहेगा	20.60 वर्ष	20.65 वर्ष

iii. छुट्टी भुनाने का लाभ

वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर नियमित कर्मचारियों के लिए वर्ष के अंत में छुट्टी भुनाने की देयता की जमा शेष रु.555.19 लाख (विगत वर्ष रु.785.10 लाख) है।

26. प्रासंगिक देयताएं

प्रासंगिक देयताओं (महत्वपूर्ण देयताओं को छोड़कर, यदि उसपर कुछ हो तो) को लेखा विवरणियों में नहीं दर्शाया गया है:

क्र. सं.	**ब्यौरा**	**31.03.2024 (रु. लाख में)**	**31.03.2023 (रु. लाख में)**
1.	निगम के विरुद्ध दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।	6487.75	1792.05
2.	अन्य रकम जिससे निगम प्रासंगिक रूप से दायी है।	1504.95	1504.95

अन्य रकम जिससे निगम प्रासंगिक रूप से दायी है, में कंपनी द्वारा विवादित आयकर की मांग की कुल राशि रु.1504.95 लाख (विगत वर्ष रु.1504.95 लाख) शामिल है। यह मामला निर्धारण अधिकारी/ सीआईटी(ए)/आयकर अपील न्यायाधिकरण के समक्ष सुधार करने/ अपील के अधीन है एवं कंपनी अपने पक्ष में अपील का फैसला सुनने के लिए आशान्वित है।

27. सीएसआर खर्चे

निगम ने वर्ष के दौरान कंपनी की सीएसआर नीति के अनुरूप कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए 10.50 लाख रुपये (विगत वर्ष 41.13 लाख रुपये) खर्च किए हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

निगम वित्तीय वर्ष 2023-24 दौरान ही उक्त वित्तीय वर्ष के 9.50 लाख रुपये का संपूर्ण सीएसआर बजट खर्च करने में कामयाब रहा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के संपूर्ण सीएसआर बजट खर्च करने के अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, निगम ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित राशियां भी खर्च की हैं:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर के खर्चे : रु.1.00 लाख

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अव्ययित सीएसआर बजट की राशि रु.2.41 लाख में से कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 1.00 लाख रुपये खर्च किया है।

आज की तिथि तक, निगम ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से संबंधित 1.41 लाख रुपये की अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान खर्च करने की योजना बनाई है, जो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए निगम के सीएसआर बजट के अतिरिक्त है जिसकी गणना कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित 2.00 लाख रुपये की अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत तक खर्च नहीं की जा सकी क्योंकि संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के उत्पादन में कौशल विकास हेतु परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए चुने गए दोनों संगठन अपने अंतिम कार्य पूरा नहीं कर सके। इसलिए, निगम दोनों संगठनों के एक-एक लाख रुपये की अंतिम किस्त को रोकने के लिए बाध्य था।

निगम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए परियोजनाओं की परिकल्पना की थी, हालांकि, कोविड-19 के अचानक प्रकोप के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान संगठन का चयन और उसके उपरांत कार्य आदेश जारी किया जा सका।

इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में कवर की गई निधि में हस्तांतरित किया जाएगा।

28. परियोजनाओं से संबंधित प्रकटीकरण

जूट प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान हेतु:

(रु. लाख में)

परियोजना का नाम		(31 मार्च, 2024 तक)			
		प्राप्त राशि	अर्जित ब्याज	संवितरण	बकाया शेष राशि
(ए)	जूट की गुणवत्ता में सुधार (रेटिंग टेक्नोलॉजी)	40.00	77.09	29.01	88.08
		(40.00)	(71.29)	(27.32)	(83.97)
(बी)	मैनुअल/पावर ड्राइवन रिबनर मशीन का विकास	34.00	129.34	18.64	144.70
		(34.00)	(119.97)	(15.91)	(138.06)

(सी)	बायो टेक्नोलॉजीकल रेटिंग	9.00	-	7.83	1.17
		(9.00)	-	(7.83)	(1.17)
(डी)	जूट प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम)	6005.00	2167.48	5806.02	2366.46
		(6005.00)	(2013.24)	(5761.11)	(2257.13)

उपरोक्त परियोजनाओं से संबंधित अल्पावधि जमा राशि पर अर्जित ब्याज संबंधित परियोजना निधि में जमा हुआ है।

29. निदेशकों का परिश्रमिक नीचे समाविष्ट किया गया है जो लेखा से संबंधित शीर्षक के नामें हैं:

		31.03.2024 (रु. लाख में)	31.03.2023 (रु. लाख में)
ए.	वेतन	79.11	77.25
बी.	भविष्य निधि, पेंशन एवं ग्रेच्युटी में अंशदान	7.82	7.86
सी.	भाड़ा आवासीय	0	2.32
डी.	अन्यान्य	38.48	5.21
ई.	बैठक शुल्क	0	0.50
कुल		**125.41**	**93.14**

30. निगम के प्रति शेयर उपार्जन को निम्न प्रकार से परिकलित किया गया है:

	31.03.2024 (रु. लाख में)	31.03.2023 (रु. लाख में)
वर्ष का (हानि)/लाभ	4611.68	1000.60
इक्वीटी शेयर की सं. का औसतन वजन	5,00,000	5,00,000
प्रति शेयर उपार्जन (मूल और मिश्रित) (रु. में)	922	200

31. आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए) – विगत वर्ष से डीटीए की समीक्षा को लाया गया है और चालू वर्ष में डीटीए को मान्यता दी गई है।

लेखाकरण मानक-22 में प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर डीटीए की वहन राशि की आवश्यकता को विनिर्दिष्ट करता है। यह भी विनिर्दिष्ट करता है कि डीटीए को मान्यता दिया जाएगा और आगे लाया जाएगा, यदि पर्याप्त कर योग्य आय सही रूप में उचित हो जिसके विरूद्ध ऐसे डीटीए को वसूला जा सके।

निगम का मुख्य उद्देश्य कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलाप का संचालन करना है और यह कच्चे जूट के बाजार मूल्य की अस्थिरता पर निर्भर करता है। यहां तक कि यदि एमएसपी क्रिया-कलाप होता है तो भी यह निश्चित नहीं है कि निगम एक सकारात्मक मार्जिन के साथ एमएसपी में शामिल लागत को वसूल करने में सक्षम होगा क्योंकि वह समय-समय पर लागू होने वाले सरकारी निर्णय/नीति पर पूरी तरह निर्भर है। यद्यपि भारत सरकार सामान्य रूप से एमएसपी की कुछ लागत को पूरा करने के लिए निगम

को प्रीफिक्सड वार्षिक आर्थिक समर्थन प्रदान करता है लेकिन यह दोनों बुनियादी ढांचे की लागत एवं जूट की खरीद एवं संबंधित क्रिया-कलापों की लागत को पूरा करने में पर्याप्त नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह सठीक रूप से कहा जा सकता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय होने का कोई उचित कारण नहीं है जो किसी भी पहले का और नए मान्यता प्राप्त डीटीए वसूला जा सके।

32. भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 18 के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन का प्रकटीकरण निम्न प्रकार हैं:

ब्यौरा	संबंधित पार्टी का नाम
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	1. श्री अजय कुमार जॉली, प्रबंध निदेशक
	2. स्व· अमिताभ सिन्हा, निदेशक (वित्त) (27.02.2024 तक)
	3. श्री अभिक साहा, कंपनी सचिव

वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक):

लेन-देन की प्रवृत्ति	संबंध	(रु. लाख में)	
		2023-24	2022-23
वेतन (मकान किराया सहित)			
श्री अजय कुमार जॉली	प्रबंध निदेशक	58.40	47.90
स्व· अमिताभ सिन्हा	निदेशक(वित्त) (27.02.2024 तक)	67.01	44.74
श्री अभिक साहा	कंपनी सचिव	19.67	17.67

33. व्यापार की गई सामानों से संबंधित सूचना

		2023-2024			2022-2023		
	ब्यौरा	गांठ	क्विं.	राशि (रु. लाख में)	गांठ	क्विं.	राशि (रु. लाख में)
(ए)	**क्रय**						
	कच्चा जूट	7,10,815	12,79,468	59,745.70	2,86,140	5,15,052	24,273.14
	जूट बीज		6,551	700.10		6,082	657.18
	विविध जूट उत्पाद			149.60			132.86
	जूट का पौधा			0			0.50
		7,10,815	**12,86,019**	**60,595.40**	**2,86,140**	**5,21,134**	**25,063.68**
(बी)	**विक्रय**						
	कच्चा जूट	5,20,048	9,36,087	55,446.76	1,07,493	1,93,488	10,677.36
	जूट बीज		6,965	754.41		4,518	509.09
	विविध जूट उत्पाद			150.20			143.83
	जूट का पौधा			0			1.45
		5,20,048	**9,43,052**	**56,351.37**	**1,07,493**	**1,98,006**	**11,331.73**

(सी)	**प्रारंभिक स्टॉक**						
	कच्चा जूट	1,81,541	3,26,774	15,809.11	2,894	5,210	281.37
	जूट बीज		4,021	334.94		2,457	179.53
	विविध जूट उत्पाद			33.88			33.09
		1,81,541	**3,30,795**	**16,177.93**	**2,894**	**7,667**	**493.99**
(डी)	**अंतिम स्टॉक**						
	कच्चा जूट	3,62,146	6,51,863	31,587.40	1,81,541	3,26,774	15,809.11
	जूट बीज		3,607	285.30		4,021	334.94
	विविध जूट उत्पाद			58.76			33.88
		3,62,146	**6,55,470**	**31,931.46**	**1,81,541**	**3,30,795**	**16,177.93**
(ई)	**आग से हानि – कच्चा जूट**	10,162	18,292				
(एफ)	**कच्चे जूट के वजन में (कमी)/वृद्धि**	(487)	(877)		1010	1818	

लेखा विवरणियों में स्टॉक की मात्रा को 180 कि.ग्रा. प्रति गांठ में दर्शाया गया है।

34. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटीकरण

(रु. लाख में)

ब्यौरा		**31.03.2024**	**31.03.2023**
(ए)	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय मूल राशि	177.88	8.89
(बी)	उपरोक्त पर देय ब्याज	-	-
(सी)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	-	-
(डी)	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया और देय ब्याज की राशि, लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
(ई)	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि	-	-
(एफ)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए उस तिथि तक बकाया और आगामी वर्षों में भी देय ब्याज की राशि, जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता।	-	-

35. अन्य पार्टियों को अग्रिम में पार्टियों से प्राप्य रु.2.34 लाख को शामिल किया गया है जिसका साफ्टवेयर की त्रुटि की वजह से वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अधिक/त्रुटिपूर्ण भुगतान हुआ था। अभी रु.0.33 लाख की वसूली हुई है एवं 15.09.2024 तक रु.2.01 लाख बकाया है।

36. नीचे उल्लिखित निम्नलिखित अनुपात को लेखा टिप्पणी में संलग्न किया गया है।

(ए) चालू अनुपात	(बी) ऋण-इक्विटी अनुपात	(सी) ऋण सेवा कवरेज अनुपात
(डी) इक्विटी अनुपात पर वापसी	(ई) वस्तुसूची के कुल कारोबार का अनुपात	(एफ) प्राप्य व्यापार के कुल कारोबार का अनुपात
(जी) देय व्यापार के कुल कारोबार का अनुपात	(एच) शुद्ध पूंजी के कुल कारोबार का अनुपात	(आई) शुद्ध लाभ का अनुपात
(जे) नियोजित पूंजी पर रिटर्न	(के) निवेश पर रिटर्न	

संलग्न संलग्नक के अनुसार

37. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड से खरीदे गए कुल प्रमाणित जूट बीज में से 97.97 मीट्रिक टन को अगस्त 2021 में पुनर्वैधीकरण के लिए भेजा गया था। 97.97 मीट्रिक टन जूट बीज में से 78.30 मीट्रिक टन जूट बीज को पुनर्वैध किया गया था और शेष 19.67 मीट्रिक टन जूट बीज को वैध नहीं किया गया था। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 78.30 मीट्रिक टन पुनर्वैध जूट बीज नहीं बेचे जा सके लेकिन 78.30 मीट्रिक टन में से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 0.47 मीट्रिक टन पुनर्वैध जूट बीज बेचा गया था। यह ध्यान में रखते हुए कि इसे दोबारा वैध नहीं किया जा सकता है और बेचा नहीं जा सकता है इसलिए अवशिष्ट मूल्य के रूप में कुल 97.50 मीट्रिक टन जूट बीज के मूल्य रु.3.90 लाख (रु.4/- प्रति किलो के हिसाब से) को लेखा बही में दर्शाया गया है।

38. वर्ष के दौरान असम के नगांव क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत भूरागांव डीपीसी में आग लगने की घटना हुई, जिससे 1096.29 लाख रुपये के कच्चे जूट के स्टॉक को नुकसान पहुंचा। संपूर्ण क्षतिग्रस्त स्टॉक को बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया गया। तदनुसार, संपूर्ण नुकसान के लिए बीमा कंपनी के पास विधिवत दावा दायर किया गया है। दावे का निपटान आज की तिथि तक लंबित है।

39. रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर लाभांश को मान्यता नहीं दी गई है:

निदेशकगण ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अपने शेयरधारक अर्थात् भारत सरकार को 276.70 रु. प्रति शेयर (विगत वर्ष 143.70 रु. प्रति शेयर) के हिसाब से लाभांश की संस्तुति की है। लाभांश के रूप में कुल जाने वाली राशि 1383.50 लाख रुपये (विगत वर्ष 718.50 लाख रुपये) होगा। लाभांश का भुगतान आगामी वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों के अनुमोदन अधीन है।

40. अन्य प्रकटीकरण

40.1 कंपनी की कोई अचल संपत्ति नहीं है, सिवाय उन संपत्तियों के जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित हैं।

40.2 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है।

40.3 कंपनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित) को अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया गया है, जो मांग पर या किसी भी शर्तों या पुनर्भुगतान की अवधि को विनिर्दिष्ट किए बिना चुकाने योग्य हो।

40.4 कोई पूंजीगत-कार्य-प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) और अमूर्त परिसंपत्तियां विकासाधीन नहीं हैं।

40.5 बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

40.6 कंपनी तिमाही आधार पर वस्तुसूची के मूल्यांकन का रिकॉर्ड नहीं रखती है; इसके बजाय, यह वर्ष के अंत में वस्तुसूची रिकॉर्ड करती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बैंक में दर्ज वस्तुसूची की तिमाही विवरण लेखा बही के साथ मेल खाते हैं।

40.7 किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता ने निगम को जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया है।

40.8 सांविधिक/नियत अवधि के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होने हेतु अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है।

40.9 कंपनी (लेयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड 87 के अनुसार कंपनियों की लेयर्स की संख्या का अनुपालन सरकारी कंपनियों के लिए लागू नहीं है।

40.10 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के शर्त्तानुसार व्यवस्था की योजना के लिए किसी भी प्राधिकरण के पास कोई आवेदन लंबित नहीं है।

40.11 जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, किसी भी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) में, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, इस समझ के साथ कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से) नहीं दी गई है, चाहे लिखित में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निगम (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की सुविधा प्रदान करेगा। जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, किसी भी व्यक्ति या संस्था से, जिसमें विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टियां") शामिल हैं, इस समझ के साथ कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, चाहे लिखित में दर्ज हो या अन्यथा, कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की सुविधा प्रदान करेगा।

40.12 कोई भी ऐसा अलिखित लेन-देन नहीं है, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

40.13 वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कोई व्यापार या निवेश नहीं किया गया है।

40.14 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत निरस्त की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है।

41. जहां भी जरूरत पड़ा है वहां विगत वर्ष के आंकड़ों को पुन:वर्गीकृत और पुन:व्यवस्थित किया गया है। कोष्टक में दिये गये आंकड़े विगत वर्ष के आंकड़े हैं।

42. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के आवश्यकतानुसार दी जानेवाली अपेक्षित अन्य सूचना को शून्य पढ़ा जाए।

वास्ते जे के वी एस एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या:318086ई

(उत्सव सराफ)
साझेदार
(सदस्यता सं.306932)

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(अभिक साहा)
कंपनी सचिव

(अजय कुमार जॉली)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08427305

स्थान : कोलकाता
तिथि : 28.10.2024

अनुपात विश्लेषण

(राशि लाख में)

	अनुपात विश्लेषण	अंश	राशि रु. में 2023-24	राशि रु. में 2022-23	भाजक	राशि रु. में 2023-24	राशि रु. में 2022-23	31.03.2024	31.03.2023	अभ्युक्ति
1	**चालू अनुपात**	**चालू परिसंपत्तियां**			**चालू देयताएं**					
		वस्तुसूची	31931.46	16177.93	वस्तुओं और सेवाओं के लिए लेनदार	3940.17	1076.25			
		विविध देनदार	2952.70	1523.25	नकद उधार	12881.36	2845.44			
		नकद एवं नकद समतुल्य	8226.25	5891.90	अल्पावधि प्रावधान	209.74	171.77			
		ऋण एवं अग्रिम	599.61	381.84	कोई अन्य चालू देयताएं	5410.62	2300.26			
		अन्य चालू परिसंपत्तियां	374.33	195.25						
			44084.34	24170.17		22441.89	6393.72	1.96	3.78	वित्तीय वर्ष 23-24 में कच्चे जूट की एमएसपी पर खरीद के लिए नकद ऋण सुविधा का लाभ उठाने के कारण चालू देयताओं में वृद्धि हुई है।
2	**ऋण इक्विटी अनुपात**	**कुल देयताएं**			**शेयरधारकों की इक्विटी**					
		कुल बाहरी देयताएं	26160.49	10093.38	कुल शेयरधारकों की इक्विटी	18263.01	14369.83	1.43	0.70	वित्तीय वर्ष 23-24 में कच्चे जूट की एमएसपी पर खरीद के लिए नकद ऋण सुविधा का लाभ उठाने के कारण बाहरी देयताएं बढ़ गई हैं।
3	**ऋण सेवा कवरेज अनुपात** (भारतीय लेखा मानक कंपनियों के लिए अन्य व्यापक आय से पहले लाभ)	**शुद्ध प्रारंभिक आय** कर के उपरांत शुद्ध लाभ+ गैर-नकद परिचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन+ब्याज+अन्य समायोजन जैसे अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि आदि।			**ऋण सेवा** वर्तमान ऋण का दायित्व (ब्याज और लीज का भुगतान+ मूलधन की चुकौती)।			लागू नहीं	लागू नहीं	
4	**इक्विटी के अनुपात पर रिटर्न**	**इस अवधि के लिए लाभ**			**औसतन शेयरधारकों की इक्विटी**					
		कर के उपरांत शुद्ध लाभ - वरीयता लाभांश (यदि कुद हो)	4611.68	1000.60	(प्रारंभिक शेयरधारकों की इक्विटी+अंतिम शेयरधारकों की इक्विटी) ÷ 2	16316.42	13869.53	0.28	0.07	बिक्री में वृद्धि के कारण पीएटी बढ़ गया है, जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में इक्विटी पर अधिक रिटर्न मिला है।
5	**वस्तुसूची के कुल कारोबार का अनुपात**	**बेचे गए सामान की लागत**			**औसतन वस्तुसूची**					
		(प्रारंभिक स्टॉक+खरीद) - अंतिम स्टॉक	47236.96	10214.72	(प्रारंभिक स्टॉक+अंतिम स्टॉक)/2	24054.69	8335.96	1.96	1.23	31.03.24 को अंतिम स्टॉक में वृद्धि के कारण

अनुपात विश्लेषण

(राशि लाख में)

	अनुपात विश्लेषण	अंश	राशि रु. में 2023-24	राशि रु. में 2022-23	भाजक	राशि रु. में 2023-24	राशि रु. में 2022-23	31.03.2024	31.03.2023	अभ्युक्ति
6	**व्यापार प्राप्य के कुल कारोबार का अनुपात**	**शुद्ध विक्रय**			**औसतन व्यापार प्राप्ति योग्य**					
		शुद्ध विक्रय	56351.37	11331.73	(प्रारंभिक व्यापार प्राप्ति योग्य+अंतिम व्यापार प्राप्ति योग्य) / 2	2237.97	815.00	25.18	13.90	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अग्रिम भुगतान के साथ बिक्री की मात्रा में वृद्धि के कारण।
7	**व्यापार देय के कुल कारोबार का अनुपात**	**कुल क्रय**			**औसतन व्यापार देय**					
		वार्षिक शुद्ध क्रेडिट क्रय	60595.40	25063.68	(प्रारंभिक व्यापार देय+अंतिम व्यापार देय) / 2	2508.21	1008.45	24.16	24.85	
8.	**शुद्ध पूंजी के कुल कारोबार का अनुपात**	**शुद्ध विक्रय**			**औसतन कार्यकारी पूंजी**					
		कुल विक्रय - बिक्री रिटर्न	56351.37	11331.73	चालू परिसंपत्तियां - चालू देयताएं	21642.45	17776.45	2.60	0.64	वित्तीय वर्ष 23-24 में बिक्री की मात्रा में वृद्धि के कारण।
9	**शुद्ध लाभ का अनुपात**	**शुद्ध लाभ**			**शुद्ध विक्रय**					
		कर के उपरांत लाभ	4611.68	1000.60	विक्रय	56351.37	11331.73	0.08	0.09	
10	**नियोजित पूंजी पर रिटर्न**	**ईबीआईटी**			**नियोजित पूंजी**					
		ब्याज एवं कर से पहले लाभ	7196.23	1275.37	नियोजित पूंजी = मूर्त शुद्ध मूल्य+कुल ऋण+आस्थगित कर देयता	44423.50	24463.20	0.16	0.05	बिक्री में वृद्धि के कारण ईबीआईटी में वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में नियोजित पूंजी पर अधिक रिटर्न मिला है।
11	**निवेश पर रिटर्न**	**ईबीआईटी**	7196.23	1275.37	**अचल परिसंपत्तियों में निवेश**	303.17	257.16	23.74	4.96	बिक्री में वृद्धि के कारण ईबीआईटी में वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में अचल परिसंपत्तियों पर अधिक रिटर्न मिला है।

अंतर्देशीय कच्चा जूट - मूल्य समर्थन

	2023-2024		2022-2023	
	गांठ	रु. लाख में	गांठ	रु. लाख में
आय				
विक्रय	520,048	55,446.76	105,624	10,458.51
ढुलाई खर्च		235.80		7.62
देयता अब बट्टे खाते में आवश्यक नहीं		60.99		494.76
ब्याज आय		169.84		397.05
बीमा दावे		2.92		1.93
विविध आय		15.00		13.98
भाड़ा प्राप्त		1.02		1.91
पर्यवेक्षण प्रभार (परियोजनाओं)		33.61		31.81
सरकार से अनुदान/आर्थिक सहायता		2,800.00		2,900.00
आग से नष्ट हुआ स्टॉक	6,519			
बंधे वजन में कमी	487		-	
अंतिम स्टॉक	288,811	25,089.50	104,563	8,531.12
शुद्ध हानि		-		-
	815,865	**83,855.43**	**210,187**	**22,838.68**
व्यय				
प्रारंभिक स्टॉक	104,563	8,531.12	702	53.07
क्रय	711,302	59,745.70	208,990	16,528.00
कर एवं लेवी		568.00		140.60
भाड़ा		1,574.45		305.50
परिचालन खर्चे		1,826.61		427.62
कर्मचारियों को भुगतान एवं प्रावधान		2,645.24		2,557.09
अन्य प्रशासनिक खर्चे		606.68		542.21
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार		830.98		87.77
गोदाम भाड़ा एवं भंडारण		269.58		186.52
बीमा		98.73		31.35
मूल्यह्रास		27.91		19.50
जीएसटी		1.78		4.69
बट्टे पर अनुदान/आर्थिक सहायता		-		-
बंधे वजन में वृद्धि		-	495	-
शुद्ध लाभ		7,128.65		1,954.77
	815,865	**83,855.43**	**210,187**	**22,838.68**

अंतर्देशीय कच्चा जूट - वाणिज्यिक

	2023-2024		2022-2023	
	गांठ	रु. लाख में	गांठ	रु. लाख में
आय				
विक्रय	-	-	1,869	218.85
बीमा दावे		-		-
आग से नष्ट हुआ स्टॉक	3,643			
बंधे वजन में कमी	-		-	
अंतिम स्टॉक	73,335	6,497.90	76,978	7,277.99
शुद्ध हानि		805.66		776.01
	76,978	**7,303.56**	**78,847**	**8,272.85**
व्यय				
प्रारंभिक स्टॉक	76,978	7,277.99	2,192	228.30
क्रय	-	-	76,140	7,745.13
अंतर्देशीय कच्चा जूट मूल्य समर्थन से स्थानांतरण	-	-	-	-
कर एवं लेवी		-		65.89
भाड़ा		-		6.39
परिचालन खर्चे		-		200.38
बीमा		25.57		26.75
बंधे वजन में वृद्धि	-		515	
शुद्ध लाभ		-		-
	76,978	**7,303.56**	**78,847**	**8,272.85**

जूट बीज

	2023-2024		2022-2023	
	क्विं.	रु. लाख में	क्विं.	रु. लाख में
आय				
विक्रय	6,965	754.41	4,518	509.09
सेवा प्रभार		31.37		17.74
अंतिम स्टॉक	3,607	285.30	4,021	334.94
शुद्ध हानि				
	10,572	**1,071.08**	**8,539**	**861.77**
व्यय				
प्रारंभिक स्टॉक	4,021	334.94	2,457	179.53
क्रय	6,551	700.10	6,082	657.18
जूट बीज की हैंडलिंग		0.48		0.50
भाड़ा		0.17		0.22
बीमा		1.12		1.23
शुद्ध लाभ		34.27		23.11
	10,572	**1,071.08**	**8,539**	**861.77**

विविध जूट उत्पाद

	2023-2024	2022-2023
	रु. लाख में	रु. लाख में
आय		
विक्रय	150.20	145.28
ब्याज	-	0.00
अंतिम स्टॉक	58.76	33.88
शुद्ध हानि		14.27
	208.96	193.43
व्यय		
क्रय	149.60	133.36
प्रारंभिक स्टॉक	33.88	33.09
भाड़ा	-	2.00
जेडीपी का विकास एवं अन्य खर्चे	17.26	24.85
बैंक प्रभार	-	0.00
बीमा	0.23	0.12
शुद्ध लाभ	7.98	
	208.96	**193.43**

The Corporation celebrating 'Har Ghar Tiranga' on the occasion of 78th Independence Day of the Nation.

Employees of the Corporation donating blood on World Blood Donor Day.

MD, JCI planting a sapling in the compound of Patsan Bhawan in observance of 'Ek Ped Maa Ke Naam' campaign.

Birth Anniversary of Gurudev Rabindra Nath Tagore being celebrated at Patsan Bhawan.

JCI

पटसन भवन

PATSAN BHAWAN

3rd & 4th Floors, CF Block
Action Area-1
New Town, Kolkata - 700 156

Design & Printed by : SKG Media (033) 4063-3318